

बाल शिक्षा एवं पारिवारिक परिवेश

डॉ० महेन्द्र बहादुर सिंह, डॉ० सुनीता सिंह



डॉ० चन्दना डे, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-ग़रसी विश्वविद्यालय लखनऊ में शिक्षा विभाग की प्रभारी एवं सह आचार्य पद पर कार्यरत हैं। यह विश्वविद्यालय की महिला सेल की अध्यक्ष भी हैं। इन्हें 24 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। इन्हें राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुकी है। बी०एड, एम० एड व एम०एस०सी० में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। बी०एड में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। डॉ० डे ने IGNOU से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एडुकेशन भी प्राप्त है। इनके 30 से भी अधिक लेख राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यह NCTE की विसिटिंग टीम मेम्बर के रूप में बी०एड० व एम०एड० पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने में योगदान दे चुकी हैं। यह Mindshare नामक अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका की सम्पादकीय सलाहकार हैं। इनकी पुस्तक **Menace of Drug Abuse Amongst Students** प्रकाशित हो चुकी है तथा शैक्षिक व परीक्षण एवं प्रयोग नामक पुस्तक का प्रकाशन कार्य चल रहा है। इन्हें राष्ट्रीय सेमीनार में विशिष्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया है।

डॉ० डे ने विश्वविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने वाली NCTE visiting team के समक्ष फल प्रस्तुतीकरण एवं नेतृत्व किया, जिसके तलस्वरूप NCTE द्वारा विश्वविद्यालय को बी०एड० प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान कर दी गयी है।


इनका शोध कार्य विश्वविद्यालय के छात्रों की नशा करने की प्रवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धी पर उसके प्रभाव से सम्बन्धित है।



डॉ० कमलेश तिवारी वर्तमान में परामर्शदाता एवं मनोवैज्ञानिक के रूप में मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद, उ०प्र० में कार्यरत हैं। इन्होंने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, आई०एम०एस०, मनोविज्ञान- मनोचिकित्सा विभाग से शोध की उपाधी प्राप्त की है। यह एक अनुभवी निर्देशक एवं परामर्शदाता हैं। इन्होंने अनेक मन्थ मनस्क बालकों को परामर्श प्रदान किया है। यह व्यवहार से सम्बन्धित मनोचिकित्सा भी प्रदान करते हैं। यह नशा उन्मूलन के लिये परामर्श प्रदान करते हैं। एवं विवाह से सम्बन्धित समस्याओं के लिये निर्देशन भी प्रदान करते हैं।

₹ 295/-

ISBN 978-93-85876-57-8



9 789385 876578



APH PUBLISHING CORPORATION
4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi 110002 Email: aphbooks@gmail.com

बाल शिक्षा एवं पारिवारिक परिवेश

डॉ० चन्दना डे, डॉ० कमलेश तिवारी



बाल शिक्षा एवं पारिवारिक परिवेश

डॉ० चन्दना डे
डॉ० कमलेश तिवारी

बाल शिक्षा एवं पारिवारिक परिवेश

लेखिका: डॉ० चन्दना डे
सहलेखक: डॉ० कमलेश तिवारी

A.P.H. PUBLISHING CORPORATION

4435-36/7, ANSARI ROAD, DARYA GANJ,
NEW DELHI-110002

Published by

S.B. Nangia

A.P.H. Publishing Corporation

4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,

New Delhi-110002

Phone: 011-23274050

e-mail: aphbooks@gmail.com

*यह पुस्तक मेरे पुत्रों आशुतोष
एवं मिहिर को समर्पित है।*

© Author

Typeset by

Ideal Publishing Solutions

C-90, J.D. Cambridge School,

West Vinod Nagar, Delhi-110092

www.ipsbooks.com

Printed at

BALAJI OFFSET

Navin Shahdara, Delhi-110032

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव



अर्द्धशा०प०सं०- ३०८५/PSM/15
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च/माध्यमिक शिक्षा विभाग
कक्ष सं०-4, नवीन भवन,
दूरभाष सं०-0522-2239768 (का०)
2235720 फैक्स
लेखनऊ : दिनांक

आमुख

आधुनिक भारतीय शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बालक है, अतः बालक के मन के विकास हेतु अभिभावकों एवं माता-पिता को अपने दायित्वों का निर्वाहन समुचित ढंग से करना चाहिए। बालक के मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक विकास हेतु माता-पिता की अहम भूमिका है। वह अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार को बच्चों के प्रति केन्द्रित करके, उन्हें समुचित ढंग से दिशा-निर्देश प्रदान कर अच्छे संस्कार विकसित कर सकते हैं। इन संस्कारों का निर्माण परिवार एवं विद्यालय में होता है। अभिभावकों के प्रयास द्वारा ही बालकों में अच्छी प्रवृत्तियों का निर्माण संभव है। प्रसन्नचित वातावरण प्रदान करके, बालकों में साहस व आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित किए जा सकते हैं।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि बाल-मन से सम्बन्धित समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु डा० चन्दना डे, असोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी, शिक्षा विभाग, खाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय एवं डा० कमलेश तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, राजकीय मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद, द्वारा इस पुस्तक के रूप में सराहनीय कार्य किया गया है। यह पुस्तक डा० डे, के चौबिस वर्षीय शिक्षण अनुभव पर आधारित है जिसमें उन्होंने अपने शैक्षिक निहितार्थों को प्रस्तुतकर, पुस्तक को शिक्षोपयोगी ही नहीं वरन् जीवनोपयोगी बनाया है। बालक की विभिन्न समस्याओं का निदान करना तथा तत्सम्बन्धी उपचारात्मक व्यवस्था करना सम्यक् रूप से माता-पिता का ही कर्तव्य है। इस पुस्तक की विषयवस्तु माता-पिता के लिए उपयोगी है क्योंकि माता-पिता ही बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। इसमें दिए गये सुझाव व निदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे।

डा० चन्दना डे, एक कुशल, परिश्रमी एवं अनुभवी शिक्षिका हैं, मैं उन्हें तथा डा० कमलेश तिवारी को इस पुस्तक के लेखन व प्रस्तुतीकरण पर बधाई देता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करना हूँ।

31.12.2015

प्राक्कथन

आधुनिक भारतीय शिक्षा का लक्ष्य ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण है जो राष्ट्र को सुसंस्कृत बनाने में सक्षम हो। आज प्रायः माता-पिता एवं अभिभावक शिक्षित होने पर भी बालक की शिक्षा व उससे सम्बन्धित समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करते। समाज एवं कार्य की व्यस्त दिनचर्या में वह बालक की योग्यताओं, रुचियों, क्षमताओं एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह उचित ढंग से नहीं करपा रहें है। अनुभव के अभाव में, युवा माता-पिता, अपने बच्चों को समुचित दिशा-निर्देश देने में असमर्थ होते हैं। लेखकों द्वारा अपने शैक्षिक व परिवारिक अनुभवों को इस पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है जिसके द्वारा बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा। इस पुस्तक के आधार पर बालकों की विभिन्न समस्याओं का निदान एवं उपचार करना सुगम एवं प्रभावी हो सकेगा।

बालकों के पालन-पोषण के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं जिनका विशेष रूप से लेखिका ने अपने निजी जीवन एवं शिक्षण कार्य करते हुये अनुभव किया, उनका इस पुस्तक में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मनोविज्ञान एवं शैक्षिक अनुभव के आधार पर इन समस्याओं के मुख्य कारणों का वर्णन भी किया गया है। यह पुस्तक, बालक के कोमल किन्तु जटिल मन को समझने में सहायक व उपयोगी सिद्ध होगी।

बालक, केवल परिवार का ही नहीं अपितु राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उसके उपयुक्त ढंग से पालन-पोषण पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है। साथ ही माता-पिता द्वारा प्रायः बाल मन को उचित रूप से न समझ पाने के अनेक दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। बालक को उचित दिशा निर्देश देने के इच्छुक माता-पिता व अभिभावकों के सम्मुख समग्र विषयवस्तु, सरल एवं सुबोध भाषा में प्रस्तुत की गई है। बालक की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के प्रति जो भ्रम है उन्हें दूर करके

यह स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता अपने उचित व्यवहार एवं पारिवारिक परिवेश द्वारा बालक को प्रगति की दिशा में अग्रसर करने में सहायक हो सकते हैं। यह पुस्तक अभिभावकों में बाल-समस्याओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर उनके निराकरण हेतु चुनौतीपूर्ण समाधान देती है। पुस्तक में व्यवहारिक एवं सरल उपचार द्वारा बालकों की समस्याओं के हल प्रस्तुत किए गये हैं, जिनका एक माँ के रूप में भी लेखिका द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। लेखिका अपने विश्वविद्यालय, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ (उ० प्र० सरकार) के माननीय कुलपति प्रो० खान मसऊद अहमद का विशेष आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी उच्चस्तरीय नेतृत्वक्षमता शैक्षिक दिशा निर्देशन द्वारा प्रेरणास्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

लेखिका अपने परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों व शिक्षकों की आभारी है जिन्होंने जीवन के विभिन्न अनुभवों के अवसर प्रदान किये, जिससे इस पुस्तक का प्रस्तुतीकरण सम्भव हो सका। अन्त में लेखक अपने प्रकाशक APH पब्लिकेशन्स का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन का महत्वपूर्ण कार्य किया

डा० चन्दना डे
डा० कमलेश तिवारी

अनुक्रमणिका

पाठ-1: बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की तैयारी	1
पाठ-2: बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना	5
पाठ-3: बच्चों की स्मरण क्षमता में सुधार	9
पाठ-4: बच्चों में भाषा का विकास	12
पाठ-5: बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना	16
पाठ-6: बच्चों के व्यक्तित्व का विकास	20
पाठ-7: बच्चों को शिष्टाचार सिखाएँ	25
पाठ-8: बालक का संवेगात्मक विकास	29
पाठ-9: मनोरंजन एवं स्वास्थ्य	33
पाठ-10: बालक का मानसिक स्वास्थ्य	40
पाठ-11: अवसामान्य बालकों का उन्नयन	45
पाठ-12: बालक और अनुशासन	49
पाठ-13: बालकों में अपराधी प्रवृत्ति	52
पाठ-14: बच्चों में शरारत करने की प्रवृत्ति	56
पाठ-15: बच्चों में बहाने बनाने की आदत	59
पाठ-16: बच्चों में चोरी की आदत	63
पाठ-17: बच्चों में हठ	66
पाठ-18: बच्चों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग	71

पाठ-19: रैगिंग और छेड़छाड़	78
पाठ-20: बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति	84
पाठ-21: बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श	87
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	93

लेखकों के विषय में

डॉ० चन्दना डे, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में शिक्षा विभाग की प्रभारी एवं सह आचार्य पद पर कार्यरत है। यह विश्वविद्यालय की महिला सेल की अध्यक्ष भी है। इन्हें 24 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। इन्हें राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुकी है। बी०एड, एम०एड व एम०एस०सी० में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। बी०एड में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। डॉ० डे ने IGNOU से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एडुकेशन भी प्राप्त है। इनके 30 से भी अधिक लेख राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यह NCTE की विसिटिंग टीम मेम्बर के रूप में बी०एड० व एम०एड० पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने में योगदान दे चुकी है। यह Mindshare नामक अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका की सम्पादकीय सलाहकार है। इनकी पुस्तक Menace of Drug Abuse Amongst Students प्रकाशित हो चुकी है तथा शैक्षिक व परीक्षण एवं प्रयोग नामक पुस्तक का प्रकाशन कार्य चल रहा है। इन्हें राष्ट्रीय सेमीनार में विशिष्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया है।

डॉ० डे ने विश्वविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने वाली NCTE visiting team के समक्ष सफल प्रस्तुतीकरण एवं नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप NCTE द्वारा विश्वविद्यालय को बी०एड० प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

इनका शोध कार्य विश्वविद्यालय के छात्रों की नशा करने की प्रवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धी पर उसके प्रभाव से सम्बन्धित है।

डॉ० कमलेश तिवारी वर्तमान में परामर्शदाता एवं मनोवैज्ञानिक के रूप में मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद, उ०प्र० में कार्यरत हैं। इन्होंने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, आई०एम०एस०, मनोविज्ञान- मनोचिकित्सा विभाग से शोध की उपाधी प्राप्त की है। यह एक अनुभवी निर्देशक एवं परामर्शदाता है। इन्होंने अनेक मन्ध मनस्क बालकों को परामर्श प्रदान किया है। यह व्यवहार से सम्बन्धित मनोचिकित्सा भी प्रदान करते हैं। यह नशा उन्मूलन के लिये परामर्श प्रदान करते हैं। एवं विवाह से सम्बन्धित समस्याओं के लिये निर्देशन भी प्रदान करते हैं।

पाठ-1 बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की तैयारी



माता-पिता अथवा अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय भेजते समय प्रसन्नता की अनुभूति होती है क्योंकि बच्चों का विद्यालयीय जीवन प्रारम्भ होता है। यूनिफार्म, नई किताबें, कापियां और बस्ते को देखकर कुछ बच्चे खुश होते हैं साथ ही कुछ बच्चे पढ़ाई को समस्या समझकर रोना शुरू कर देते हैं जिससे माँ-बाप और अध्यापक के लिये समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहले पांच वर्ष पूरे हो जाने पर, सामान्यतः बालक पहली कक्षा में अध्ययन प्रारम्भ करता था लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नर्सरी, के०जी० आदि में पढ़ने हेतु अधिकांशतः तीन वर्ष से ही बच्चे की पढ़ाई प्रारम्भ हो जाती है। डॉ० इन्दुबाला ने अपने

पुत्र अभिनव का नये विद्यालय में प्रवेश कराया था। पहले दिन से ही स्कूल जाने के नाम पर अभिनव ने घर में कोहराम मचा दिया। जैसे तैसे प्रलोभन देने पर वह स्कूल जाने को तैयार हुआ तो रास्ते में ही घर जाने की जिद करने लगा और रोने लगा। कक्षा में भी वह बैठने के लिये तैयार नहीं हुआ और रोता ही रहा। उधर उन्हें हॉस्पिटल ड्यूटी के लिये जाने में विलम्ब हो रहा था। टीचर के आश्वस्त करने पर वह बच्चे को छोड़कर चली तो आई पर मन बच्चे में ही लगा रहा।

विद्यालय भेजने से पूर्व की तैयारी

वस्तुतः इस प्रकार की स्थिति इसलिये उत्पन्न होती है क्योंकि स्कूल के प्रति एक आकर्षक कल्पना हम बच्चे में उत्पन्न नहीं कर पाते हैं जिससे नए परिवेश में बच्चे को समायोजन में कठिनाई होती है। डांट-डपट या मारपीट का सहारा लेने पर स्कूल के प्रति बच्चे के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। स्कूल भेजने से पूर्व बच्चे को स्कूल के लिये मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। विकास की बहुमुखी प्रक्रिया में बच्चे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता इस बात की है, कि उन्हें दिशा-निर्देश समुचित ढंग से दिया जाए।



हमें बालक को समझने का प्रयास करना चाहिये। बालक को न तो उपेक्षित होने देना चाहिये और न अधिक संरक्षण या लाड़-प्यार, बच्चे के प्रति प्रदर्शित करना चाहिये। बच्चे में आत्मनिर्भरता के गुण का विकास होने दें। विद्यालय का परिवेश, पारिवारिक परिवेश से भिन्न होता है। बच्चे को समान आयु के बच्चों के साथ मिलने-जुलने और खेलने के लिये प्रोत्साहित करें, इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना का विकास होगा। स्कूल जाने से बच्चे की सामाजिकता का विकास होता है। पूर्व तैयारी के बिना बच्चा विद्यालय के वातावरण में भली प्रकार समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। बच्चे में जिज्ञासा की मनोवृत्ति को बढ़ावा दें, जिससे बच्चा विषयवस्तु को न समझने पर समाधान प्राप्त करने की दिशा में सचेष्ट हो सके। बच्चे को खेल खिलौनों के द्वारा शैक्षिक बातों का ज्ञान कराएँ। उन्हें कहानी और गीत आदि सुनाएँ जिससे उनके ज्ञानार्जन में बढ़ोत्तरी हो। बच्चे में अच्छी आदतों के निर्माण में सहयोग दें। इससे उनमें सेवाभाव और व्यवहार कुशलता की अभिवृद्धि होगी। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार को बच्चों के प्रति केन्द्रित कीजिये। इससे वे कहने के पूर्व ही स्कूल जाने की तैयारी में उत्साहपूर्ण ढंग से प्रयास जारी रखेंगे।

पढ़ाई के प्रति अभिभावक का कर्तव्य

पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास अभिभावक को करना चाहिये। संग्रह करने की प्रवृत्ति यदि बच्चे में है तो आपको चाहिये कि उसे रचनात्मकता की ओर उन्मुख करें। बच्चों को पढ़ाते समय, यथासम्भव प्रयास करें कि शिक्षण खेल और रुचि सम्बन्धित होना चाहिये। बच्चे में अच्छे संस्कार पनपे, इसके प्रति बड़ों को सतर्क रहना चाहिये क्योंकि इन संस्कारों का निर्माण बच्चों में परिवार और विद्यालय के परिवेश से होता है। माता-पिता को अच्छे व्यवहार का अनुकरणीय उदाहरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। बच्चे में बुरी या गन्दी आदतें न पनपने दें, यह तभी सम्भव हो सकेगा जब आप बच्चे पर निगरानी बनाये रखेंगे तभी उसकी प्रवृत्तियों को रचनात्मक मोड़ देना सम्भव हो सकेगा।

माता-पिता को चाहिये कि बच्चे को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे इसलिये उन्हें अपन कार्य स्वयं करने दें। हर समय उनके कार्य को पूरा कर देने से वे माता पिता से चिपके रहेंगे, उनमें परानिर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ेगी जो स्कूल जाने

में भी अवरोधक सिद्ध होगी। बच्चे की शिक्षा के लिये खेल संबंधी उपकरण उसे लाकर दें। इससे शिक्षा के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न होगी। बच्चों की पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी ध्यान दें जैसे गुरुजन का सम्मान, नियमितता, और अच्छा व्यवहार आदि। बच्चे को भयमुक्त बनायें रखने का प्रयास करना चाहिए।

बालक को ध्यान केन्द्रण का प्रशिक्षण दें। उसे एक स्थान पर बैठकर, एकाग्रचित्त होकर मोम के रंगों से आकृतियां बनाने, चित्रों में रंग भरते या किसी भी खेल में व्यस्त रहने दें। इस प्रकार बालक न केवल ध्यान केन्द्रित करना सीख जायेगा अपितु एक स्थान पर कुछ समय तक स्थिर होकर बैठना भी सीखेगा।

बच्चों को अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखना सिखाएँ। अपने पढ़ने के स्थान को स्वच्छ व सुन्दर रखने को प्रेरित करें। बाल साहित्य, मनोरंजक कहानियां पढ़कर बालक की पढ़ने के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है।

पाठ-2 बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना



बालक को पर्याप्त ध्यान दे व उसकी रुचि व अरुचि को समझने का प्रयास करें।

बालक को आपके समय व ध्यान की आवश्यकता है। जब आप बालक के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं तो माता-पिता के रूप में आपको उसकी पंसद की पूर्ण जानकारी मिल सकती है।

बालक की विभिन्न क्रियाओं की पूर्व योजना बनायें। बालक के लिए खेल, चित्रकला व रंग करना भी पढ़ाई के समान ही महत्वपूर्ण है। इससे माता-पिता और बालक का सम्बन्ध दृढ़ होता है।

बालक की पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए घर में उचित वातावरण का निर्माण आवश्यक है। बालक पढ़ाई के रूप में केवल वह ज्ञान ही प्राप्त नहीं

करना चाहते जो उन्हें पुस्तकों में पढ़ाया जाए अपितु वे उस ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं जो वह देखते या करते हैं। इसलिए घर में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण आवश्यक है।

बालक को कभी भी पढ़ने के लिए बाध्य न करें। ऐसा करने पर उनमें पढ़ाई के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी। अपितु विभिन्न वस्तुओं व परिस्थितियों के प्रति उसकी रुचि जागृत करने का प्रयास करें। जैसे, उसके साथ टहलने जायें और रास्ते में दिखायी देने वाले वृक्षों व पक्षियों के विषय में जानकारी दें। आप उसे पौधों के भागों के विषय में भी ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप उसमें नई चीजों के बारे में जानने की लालसा उत्पन्न कर सकेंगे।

साधारण शब्दों में उसे जीवन में शिक्षा के महत्व के विषय में जानकारी दें। बालक में पढ़ने के प्रति प्रेम जागृत करें न कि केवल अंकों या कक्षा में उच्च स्थान पाने के लिए। जिन बच्चों में प्रारम्भिक अवस्था में ही पढ़ाई के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, वे बिना व्यवधान के जीवन भर अच्छी तरह पढ़ते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में अधिक सफल व प्रसन्न रहते हैं।

बालक को यह समझायें की असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिये यदि परीक्षा में अंक अच्छे न भी आये तो भी उसे कर्तव्य समझ कर पढ़ाई पूरी करनी है।

बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अनेक कदम उठाये जा सकते हैं जैसे

- बालक को महत्वकांक्षी होने के लिए प्रेरित करके उसमें प्रतियोगिता की प्रवृत्ति विकसित करे। उसे यह समझायें कि जो पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर रहे हैं उसका मूल कारण उनकी पढ़ाई में रुचि होना है।
- पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। यदि बालक मन में ठान ले कि उसे सफल होना है तो उसे सफलता निश्चित ही मिलेगी।
- बालक के सामने किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने जीवन में किन कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है यह बालक को जानना चाहिए। बालक को अन्य सफल व्यक्तियों के सम्पर्क में लाकर उनसे वार्तालाप के अवसर भी दिए जा सकते हैं। इस अनुभव से उसे पढ़ाई के लिए परिश्रम करने की प्रेरणा मिलेगी।

- पढ़ाई में रुचि जागृत करने के लिए उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। बालक को पोषक तत्वों से भरा संतुलित आहार दिया जाना चाहिये। उसे पर्याप्त सोने का समय (औसतन 8-9 घण्टे) भी दिया जाना चाहिये जिससे मानसिक थकान दूर हो सके।
- बालक को निश्चित समय-सारणी बनाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उसे कठिन पाठ सारांश के रूप में लिख कर पढ़ने चाहिए। पाठ में लिखे उदाहरणों की दैनिक जीवन में उपयोगिता पर बल दिया जा सकता है, जिससे उसके विचारों में स्पष्टता आयेगी।
- पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए बालक को उपहार देकर प्रेरित किया जा सकता है। समय पर पढ़ाई पूरी करने व शुद्ध उत्तर देने पर उपहार द्वारा उसका उत्साहवर्धन किया जा सकता है। इन सुखद अनुभवों की पुनरावृत्ति करने का प्रयास बालक द्वारा निश्चित ही किया जायेगा।
- बालक को सलाह दी जा सकती है कि वह एक पृष्ठ पर पढ़ते समय ध्यान भंग करने वाले विचारों को लिख ले। पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात् वह इन विचारों को समय दे सकता है। इस प्रकार पढ़ाई के समय आने वाले मानसिक व्यवधान स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।
- पढ़ने से पूर्व बालक को 30 मिनट तक ऐसा खेल खेलने दें जिससे शरीर का व्यायाम हो। ऐसा करने पर उसे पढ़ाई में ध्यान केन्द्रित करने में सरलता होगी।
- यदि बालक बहुत समय तक एक स्थान पर बैठ कर न पढ़ पाये तो उसके गृह-कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। पढ़ाई के बीच उसे कुछ समय का ब्रेक अवश्य दें।
- बालक को मानसिक खेलों में रुचि लेने को प्रेरित किया जा सकता है। इससे पढ़ने समय ध्यान केन्द्रण अच्छा होगा।

बालक का पढ़ाई में मन न लगने के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे

- पाठ का अत्यधिक कठिन होना।
- पाठ का व्यवहारिक व दैनिक जीवन से सम्बन्धित न होना।
- पढ़ाई के समय किन्हीं कारणों से ध्यान भंग होना।

- शारीरिक एवं मानसिक थकान।
- खेल या किसी अन्य कार्य में अधिक रूचि होना।
- पढ़ने के स्थान का अनुकूल न होना।
- घर में शांत वातावरण का अभाव।
- घर के सदस्यों का आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण न होना।
- माता-पिता या घर के अन्य सदस्यों का बालक की ओर असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार।

पाठ-3 बच्चों की स्मरण क्षमता में सुधार



स्मृति का महत्व केवल शिक्षा के लिये नहीं वरन् जीवनपर्यन्त है। स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। स्मरण के अन्तर्गत सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान ये चार बातें निहित हैं। याद करने में धारणा जितनी स्पष्ट और सहज होंगी, स्मृति उतनी अच्छी होगी। बालक याद करने की विषयवस्तु के प्रति एकाग्रता और रूचि रखता है तो स्मरण में उसे सुविधा होगी बालकों के लिये मन में पढ़ने की अपेक्षा बोलकर पढ़ने से याद करने में लाभ होता है क्योंकि इसमें विभिन्न ज्ञानेन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं। लगातार याद करते रहने की चेष्टा से अच्छा होगा कि बीच में थोड़ा

विश्राम कर लिया जाए जिससे स्मृति चिन्ह अधिक सजीव हो जायें। वैसे याद करने की विषयवस्तु के आकार प्रकार पर निर्भर होगा कि उसे एक बैठक में ही पूरा किया जाए अथवा सामग्री को कुछ टुकड़ों में विभक्त कर याद किया जाए। बच्चों के लिये सामान्यतः ज्यादा अच्छा यही होगा कि वे समग्र रूप से याद करने का प्रयास करें।

पाठ तीव्र गति से याद करने के लिये -

1. अर्थ को समझकर याद करना उपयोगी होता है। याद की गयी विषयवस्तु का लघु मात्रा में प्रारम्भ में भूलना तीव्र गति से होता है, बाद में यह गति धीमी हो जाती है। साहचर्य के नियमों पर आधारित स्मरण अधिक फलदायक होता है।
2. तात्कालिक स्मृति में याद करने के पश्चात तुरन्त सुना देना आता है और स्थायी स्मृति में लम्बी अवधि के पश्चात पुनः स्मरण किया जाता है। कभी अनायास कोई बात याद आ जाती है तो वह निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। प्रयास करके याद करने पर सक्रिय स्मृति हो जाती है। स्मृति के और भी कई रूप होते हैं जैसे वैयक्तिक, अवैयक्तिक, तार्किक और इन्द्रियजन्य स्मृति आदि। उस बालक की स्मृति निश्चय ही अच्छी होगी जो शीघ्र सीख लेता है, व्यर्थ की बातों को भूल जाता है, शीघ्र याद कर लेता है तथा जिसकी धारणा शक्ति अच्छी हो।
3. यदि बालक परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर याद करता है तो उसे याद करने में लाभ पहुँचता है। इस प्रकार वह समानता, सहचारिता, रूचि और विरोध या विलोम के आधार पर याद करता है। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति, नवीनता, स्पष्टता और प्राथमिकता आदि कारक भी स्मृति को प्रभावित करते हैं।
4. शारीरिक गड़बड़ी से जैसे श्रवण या वाणी में दोष होने पर बालक को याद करने में कठिनाई होती है। कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है। इसलिये पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य, स्मृति पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। कुछ बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें ठीक से याद नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि याद करने की विधि सही नहीं है। बच्चों को चाहिये कि किसी चीज को याद करने के पश्चात उसे दोहरायें।

5. याद करने की सामग्री यदि थोड़ी है तो बालक को पूर्ण विधि द्वारा याद करना चाहिये और यदि सामग्री बड़ी है तो खण्डों में विभक्त कर याद करना अच्छा होगा।
6. तात्कालिक स्मृति के लिये निरन्तर याद करना तथा स्थायी स्मृति के लिये विश्राम देकर याद करना लाभदायक होता है। निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि अर्थात् उच्चारण सहित याद करना अच्छा रहता है। लय के साथ पढ़ना, याद करने में रूचि और इच्छा का होना आदि याद करने की क्रिया को सार्थक बनाते हैं। कुछ लोगों को स्मरण शक्ति तीव्र होती है पर अधिकांश लोगों की सामान्य होती है। प्रयास करके बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। स्मृति और बुद्धि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसलिये बुद्धि के विभिन्न तत्वों में स्मृति भी एक तत्व है। बच्चों को सही ढंग से याद करना सिखाने से उनकी स्मरण शक्ति का निश्चित ही उपयुक्त विकास होगा।

पाठ-4 बच्चों में भाषा का विकास

भाषा एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा व विचारों को दूसरों तक पहुँचाता है। व्यक्ति में सामाजिक गुणों के विकास हेतु भाषा विकास को अनिवार्य माना गया है।

हरलॉक के अनुसार, “भाषा में सम्प्रेषण के वे सभी साधन आते हैं, जिसमें विचारों और भावों को प्रतिक्रियात्मक बनाकर दूसरों तक अर्थपूर्ण ढंग से सम्प्रेषित किया जा सके।”

बालकों में भाषा के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भाषा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

1. **अभिप्रेरणा :-** माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बालक को शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये। माता-पिता सामाजिक रूप से अर्थयुक्त क्रियाओं को पुनर्बलित करते हैं जिससे बालक भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होता है।
2. **अनुकरण :-** बालक का विकास पूर्ण रूप से अनुकरण का परिणाम होता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किए गये उच्चारण का अनुकरण करते हैं। माता-पिता द्वारा किए ज़ुटिपूर्ण उच्चारण को भी बालक शीघ्र अपना लेते हैं। इसलिये आवश्यक है कि माता-पिता बच्चे के समक्ष शुद्ध उच्चारण करें।
3. **परिपक्वता :-** ध्वनि उत्पन्न करने में गला, जिह्व दाँत, तालू, स्वर यंत्र आदि का सहयोग होता है। अतः उचित भाषा विकास के लिए इन अंगों का परिपक्व होना आवश्यक है।
4. **अनुबंधन :-** अधिगम सिद्धान्तवादियों के अनुसार भाषा का विकास उद्दीपक-अनुक्रिया के मध्य स्थापित साहचर्य पर आधारित है। स्किनर के

अनुसार भाषा विकास भी ‘आपरेन्ट अनुबंधन’ पर निर्भर करता है। बालक की जिन ध्वनियों को पुनर्बलित किया जाता है, वह उन्हें शीघ्र सीख लेता है।

भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक

भाषा विकास को प्रभावित करने में अनेक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं जैसे-

1. **बुद्धि :-** अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रतिभाशाली बालक शब्द भण्डार, उच्चारण क्षमता, शब्द चयन और वाक्य में अधिक प्रवीण होते हैं। इन बालकों में भाषा विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि ये शब्दों के अर्थ का साहचर्य शीघ्र स्थापित कर लेते हैं। यदि अर्थ साहचर्य न हो तो भाषा विकास अवरूद्ध रहता है।
2. **यौन भेद :-** बालकों की तुलना में बालिकाओं के भाषा का विकास शीघ्र हो जाता है। प्रारम्भिक अवस्था में बालिकाओं का शब्द भण्डार अधिक व्यापक व उच्चारण अधिक शुद्ध होता है। सामाजिक परिवेश के कारण बाद की अवस्थाओं में लड़कों के शब्द भण्डार बालिकाओं से विस्तृत हो जाते हैं।
3. **सामाजिक व आर्थिक स्तर :-** आर्थिक व सामाजिक रूप से निम्न स्तर के परिवारों के बालकों में भाषा की शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप इन परिवारों के बालकों का भाषा विकास अवरूद्ध हो जाता है। गरीब परिवारों के बालकों में सुसंस्कृत शब्दावली की कमी व शब्द भण्डार का अभाव होता है। परिवार के सदस्यों द्वारा शुद्ध भाषा का अभाव रहता है जिसे बालक भी अशुद्ध भाषा को अपना लेता है।
4. **प्रेरणा:-** बालकों में उत्तम भाषा विकास के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये।
5. **पारिवारिक संबंध:-** भाषा के विकास पर परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार के सभी सदस्यों का आपस में मधुर व शुद्ध भाषा का प्रयोग, बालक के भाषा विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है। माता-पिता द्वारा सभ्य व सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से बालक को प्रभावित करता है।
6. **व्यक्तित्व की भिन्नतायें:-** अलग-अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले बच्चों में भाषा का विकास भिन्न प्रकार से होता है। उत्साही प्रवृत्ति के बालकों में

भाषा सीखने व अपनाने की गति तीव्र होती है। आवेगी बालकों में उच्चारण त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

7. **मित्रों व देख-रेख करने वाले परिचालकों का प्रभाव :-** प्रारम्भिक अवस्था में बालक में का भाषा विकास उसकी मित्र - मण्डली व देख-रेख करने वाले परिचालकों द्वारा प्रयुक्त भाषा से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार का प्रभाव स्थायी नहीं होता तथा शीघ्र ही बालक पुनः अपने परिवार विशेष रूप से माँ द्वारा प्रयुक्त भाषा को अपना लेता है।

उचित भाषा विकास के लिए आवश्यक उपाय

बालकों में उपयुक्त भाषा के लिए अनेक उपाय किये जा सकते हैं जैसे :-

1. **बालकों को प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करके:-** बालकों को प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध करा कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये।
2. **समाचार पत्रों के अध्ययन द्वारा:-** बालकों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के अध्ययन करने पर उनके शब्द भण्डार में तीव्र वृद्धि संभव है। इस प्रकार उनका भाषा विकास उचित रूप से होगा।
3. **बालकों से बोलचाल में शिक्षकों व परिवार के सदस्यों द्वारा शुद्ध भाषा का प्रयोग :-** बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। अतः परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त शुद्ध भाषा का अनुकरण वह शीघ्र कर लेता है प्रायः अशुद्ध उच्चारण का मुख्य कारण, परिवार के सदस्यों द्वारा उच्चारण उचित ढंग से न किया जाना होता है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रभाव बालकों पर निश्चित रूप से पड़ता है।
4. **नए शब्दों का ज्ञान प्रदान करके :-** बच्चों को नए शब्दों का अर्थ इस ढंग से समझाया जाए जिसे वे सरलता से समझ सकें। उन्हें शब्दकोष का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिये।
5. **टेलीविज़न व रेडियो के माध्यम से :-** आज तकनीकी युग है अतः बालकों के समक्ष रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से आदर्श नमूने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इससे उनमें भाषा - विकास उचित प्रकार से होगा।

6. **आत्म विश्वास जागृत करके:-** बालक की त्रुटिपूर्ण भाषा की आलोचना व सुधार इस प्रकार होना चाहिये की भाषा बोलने के प्रति उसमें आत्म-विश्वास जागृत हो।


भाषा सम्बन्धी दोष

स्वर-यंत्र की अपरिपक्वता तथा सांवेगिक उद्दीपन के कारण बालक में अनेक प्रकार के भाषा व वाणी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शब्दों के उच्चारण करने में गतिरोध का आना, एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति करना, किसी अक्षरको बोल न पाना अथवा उस अक्षर के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना आदि दोष, भाषा व वाणी दोषों के अंतर्गत आते हैं।

इन दोषों के प्रमुख कारण हैं

- 1- आँगिक विकृतियाँ जैसे तालू, दाँत, ओष्ठ, जबड़े इत्यादि अंगों का क्षतिग्रस्त होना या अविकसित होना।
- 2- शुद्ध उच्चारण हेतु प्रशिक्षण का अभाव।
- 3- बालक का बहरापन या सुनने में कठिनाई होना।
- 4- बालक का तनावग्रस्त होना।
- 5- अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का असंतुलित होना।

पाठ-5 बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना



आत्मविश्वास सफलता की आधारशिला है। प्रायः देखा जाता है कि योग्यता के होने पर भी आत्मविश्वास के अभाव में बच्चे सफलता अर्जित करने से वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उत्तर आने पर भी कक्षा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर बच्चे नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य कारण बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। उन्हें अपने समान आयु के बालकों के साथ मिलने जुलने एवं खेलने का अवसर दें। याद रखें कि बच्चों को भी बड़ों के समान स्वतंत्रता प्रिय होती है। एक सीमा तक उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता दें जिससे वे उच्छ्रंखलान हो सकें। इस प्रकार उनमें आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना प्रस्फुटित होगी।

आत्मविश्वास जागृत करने हेतु

1. बच्चों को 'अमुक काम न करो' जैसे नकारात्मक निर्देश न दें क्योंकि इससे उनमें हीनभावना या कुण्ठा पनप सकती है। इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने धैर्य एवं आत्मविश्वास के आधार पर आपदाओं पर विजय प्राप्त की। चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, आत्मविश्वास के अभाव में सफलता अनिश्चित रहती है।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी रूपरेखा निश्चित करने में बच्चों को सहयोग दें जिससे वे उसके विविध सोपानों को पूरा करते हए अपेक्षित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। उन्हें समझायें कि कोई भी राह या मंजिल कितनी भी कठिन हो उसकी प्राप्ति असंभव नहीं होती। नैपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि असम्भव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। दृढ़ निश्चयी वही हो सकता है जो आत्मविश्वासी हो। इसलिये आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी भी कहा जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ सहयोगी गुण स्वयं विकसित होने लगते हैं जैसे आकांक्षा का विकास, लगन या निष्ठा, कार्य करने की तत्परता और उत्साह आदि।
3. बच्चों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपें। इससे वे स्वावलम्बी बनेंगे। पारिवारिक समस्याओं को यदि उनकी आयु समझने योग्य है, तो उनके समक्ष व्यक्त करने में संकोच न करें।
4. परामर्श भी करें और उनकी उचित सलाह की कद्र करें। ऐसा करने से उनमें सहयोग तथा सहिष्णुता का विकास होगा। उन्हें बतायें कि यदि वे आत्मविश्वास से पूर्ण होकर कठिन परिश्रम की ओर उन्मुख होंगे तभी उन्हें पढ़ाई में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। प्रेरणादायक उदाहरणों से आप उन्हें आत्मविश्वास की महत्ता समझा सकते हैं। जैसे युद्ध में पराजित होने पर राबर्ट ब्रूयर ने मकड़ी को बार-बार जाले तक पहुँचाने के लिये प्रयास करते और अन्ततोगत्वा सफलता प्राप्त करते देखकर स्वयं में उत्साह और आत्मविश्वास संजोकर पुनः युद्ध में विजय प्राप्त की।
5. असफल हो जाने पर बच्चे की आलोचना न करें और न ही उन्हें हतोत्साहित करें क्योंकि असफल होने पर सफलता का महत्व और बढ़ जाता है। अतः सहानुभूति और स्नेह प्रदान करते हुए उनका उत्साहवर्धन करें।

6. यदि आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी सराहना करें इससे वह स्वयं को परिवार का उपयोगी घटक समझ सकेगा। कठोर अनुशासन या डाँट-डपट से बच्चों में नैराश्य, अर्न्तद्वन्द या हीन भाव ग्रन्थियों पनपने लगती हैं।
7. आत्मविश्वास यानि अपने ऊपर विश्वास से ही कठिनाईयों एवं समस्याओं से बच्चे घबरायेंगे नहीं वरन् डटकर मुकाबला करते हुए आपदाओं का निराकरण कर विजयश्री अथवा सफलता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। बच्चों के नवनिर्माण की सारी प्रक्रिया में हमें चाहिये कि उनमें लगन, निष्ठा तथा आत्मविश्वास की बढ़ोत्तरी करें तभी उनकी प्रगति में अपेक्षित योगदान सम्भव होगा। जब आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है तो क्यों न हम उन्हें प्रेरित करें कि वे इसके द्वारा परिवार में तथा विद्यालय में अच्छे कार्यों को प्रारम्भ करें जिससे उनकी उन्नति हो, साथ ही समाज और राष्ट्र की भी। परिवार के वातावरण को स्नेहपूर्ण और प्रेरणादायक बनायें क्योंकि कलहपूर्ण वातावरण होने पर सहज एवं स्वाभाविक विकास अवरूद्ध होने लगता है। उनमें स्वस्थ स्पर्धा की भावना का विकास करें जिससे वे अपेक्षित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। परिवार में एक दूसरे के प्रति आपसी समझ रखते हुए सदभावना का वांछित विकास होगा। बच्चों की भावनाओं को समझें, गलती होने पर प्यार से उसे समझा दें जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो तथा वे बड़ों पर विश्वास बनाये रख सकेंगे। उन्हें आत्मविश्वासी बनाने के लिये पहले स्वयं उनका विश्वास अर्जित करें।
8. आत्मविश्वास मन की उपज है। यह मन का ऐसा भाव है जिसे प्रज्वलित कर या उसका विकास कर बच्चे दैनिक जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास एक अच्छा गुण है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में और अच्छी आदतों के निर्माण एवं विकास में करना चाहिये।

आत्मविश्वास उन्नति का मूलाधार है पर अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार उत्पन्न करता है। इसलिये हमें सतर्क रहना होगा, जिससे अहंकार जैसे दृष्ट्रवृत्ति से वे बच सकें। निश्चय ही आज के बच्चे कल देश के नागरिक बनेंगे। उनके भौतिक विकास पर ही देश का सुखद भविष्य निर्भर है। अतः चाहिये कि नैतिक मूल्यों को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करने अथवा आत्मसात करने पर ही माता-पिता

या अभिभावक बच्चों के लिये प्रेरणास्रोत बन सकेंगे और वे भी अनुसरण करते हुए सफलता की राह पर अग्रसर होकर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकेंगे।

परिवार में सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण वातावरण द्वारा बालक में आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित किये जा सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में माता-पिता का धैर्यपूर्ण व्यवहार, बालक को आत्मविश्वासी बनाता है। परिवार के सदस्यों का आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार व एक दूसरे पर विश्वास करने की प्रवृत्ति भी बालक में आत्मविश्वास जागृत करती है। माता-पिता का बालक की योग्यता व क्षमता में विश्वास भी, आत्मविश्वास जागृत करता है। बालकों की छोटे-छोटे कार्यों में सफलता की प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा भी आत्मविश्वास का गुण विकसित किया जा सकता है। यदि बालक कभी असफल हो, तब भी उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है। असफल होने पर भी बालक अपने माता-पिता से सहानुभूति व प्रोत्साहन की अपेक्षा करता है। उस समय उसे यह बताकर कि असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है, उसमें आत्मबल विकसित किया जा सकता है। यदि माता-पिता, अपनी निराशा या भय बालक के सामने प्रकट न करें अपितु उसकी क्षमता में अपना विश्वास दर्शायें तो निश्चित ही बालक का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

पाठ-6 बच्चों के व्यक्तित्व का विकास



अंग्रेजी के कैम्ब्रिज अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष के अनुसार “आप जिस प्रकार के व्यक्ति है, वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता तथा विचारों में व्यक्त होता है।”

बालक, ईश्वर द्वारा निर्मित एक पवित्र व निश्चल कृति है। उसका विकास जिस वातावरण में होता है उसका निर्माण, उसके माता-पिता, शिक्षक, मित्र मण्डली और सम्पूर्ण समाज ही करता है। इनमें से यदि एक भी इकाई अपना दायित्व उचित प्रकार से नहीं निभाती तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व पर प्रमुख प्रभाव, बालक के माता-पिता व उसके उचित शारीरिक व

मानसिक पालन-पोषण पर होता है। बहुधा अपनी दैनिक जीवन की व्यस्तता के कारण माता-पिता बालक के प्रति अपने स्नेह व प्रेम को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते। जिससे बालक में असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है व उसके व्यक्तित्व में निडरता, व साहस के गुण नहीं होते। व्यक्तित्व पर सबसे गहरी छाप माता की होती है। भारतीय पारम्परिक परिवारों में यदि माँ कार्यरत हो तब भी वह बालक की देखरेख पिता से अधिक करती है। बालक अनेक कार्य ऐसे करते हैं जिनमें माँ की स्वाभाविक रुचि नहीं होती। माता यदि बालक द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अपनी रुचि व सहभागिता का उत्तम प्रदर्शन करे तो बालक के व्यक्तित्व को दृढ़ता मिलती है। बहुधा बालक, अनेक प्रकार की अस्वभाविक इच्छाएँ प्रकट करता है जिनका सम्मान करना कठिन होता है। फिर भी, यदि माता-पिता उसकी इच्छाओं में तनिक परिवर्तन करके, उनका सम्मान करें तो वह बालक में सहयोग, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व जैसे महान गुणों को विकसित कर सकते हैं। इन गुणों के विकास से बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा तथा वह जीवन में अनेक बुलंदियों को स्पर्श कर सकेगा। बालक जब छोटा होता है उसके सभी कार्य त्रुटीहीन नहीं होते। जैसे पानी लाने को कहने पर उसके द्वारा गिलास गिर कर टूट जाना। इस प्रकार की छोटी-छोटी गलतियों पर उसे माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा डाँट कर अपमान का बोध कराया जाता है। प्रायः उसे दण्डित और प्रताड़ित भी किया जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास सदा के लिए टूट जाता है। आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है जिससे बालक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है।

परिवार में यदि ईमानदारी व सहयोग का वातावरण हो तो बालक में भी इन गुणों का विकास होगा। इन गुणों के अभाव में बालक सदैव मनमानी करेगा व नैतिक मूल्यों को महत्व न देकर, समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहेगा। बालक जब जन्म लेता है तो उसका शरीर निःवस्त्र होता है ठीक उसी प्रकार उसका मन भी साफ़स्लेट की भाँति होता है। जिस प्रकार हम उसे अपनी रुचि व धर्म के अनुसार वस्त्र पहनाते हैं उसी प्रकार पालन-पोषण पर उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। उसे एक भयरहित, सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करना, परिवार व शिक्षकों का परम कर्तव्य है। बच्चों के प्राकृतिक गुणों को प्रस्फुटित कर, उन्हें सँवारना और विकसित करना, माता-पिता के अतिरिक्त, शिक्षक, विद्यालय,

समाज की प्रत्येक ईकाई, बालसेवी संस्थाओं व प्रेरक बाल-साहित्य सभी का परम् कर्तव्य है। विद्यालय व शिक्षक द्वारा बालक में परिश्रम व ज्ञान के प्रति प्रेम व देश-प्रेम की भावनाएँ जागृत की जा सकती है जिससे वह कुशल, सजग नागरिक बनकर देश के प्रति महान योगदान देने में सफल होंगे।

महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने भी स्वीकार किया है कि उनकी अशिक्षित परन्तु धार्मिक माता ने तुलसी के पौधे की पूजा करते हुए उनमें पौधों में संवेदन के विषय में उत्सुकता जागृत की। इससे वह विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने में सफल हुए।

आधुनिक युग के माता-पिता व शिक्षक, बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान कर अपने दायित्व को पूर्ण समझने की भूल कर बैठते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है कि माता-पिता व शिक्षक द्वारा बालक में ध्यान केन्द्रण के गुण को विकसित किया जाना चाहिये। इस गुण के विकसित होने पर, बालक, शिक्षा व समाज के क्षेत्र में उच्च शिखर पर पहुँच सकता है। महान लेखक, उपन्यासकार व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी रचना 'तोते का प्रशिक्षण' में एक सुन्दर घटना का उल्लेख किया है जिसमें प्राकण्ड पंडित व शिक्षक, एक तोते को जल्द से जल्द प्रशिक्षित करने के प्रयास में उसे पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ कर खिला देते हैं। परिणाम स्वरूप तोता ज्ञानी तो नहीं बन पाता अपितु उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। अतः रविन्द्रनाथ ठाकुर की यह रचना इस बात का प्रमाण है कि बालक में उसकी अवस्था एवं स्वाभाविक रुचि के अनुसार गुणों का विकास करना चाहिये अन्यथा उसका परिणाम भी तोते की भाँति होगा।

व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम (Heredity) तथा परिवेश (Environment) का प्रमुख स्थान है। वंशानुक्रम द्वारा बालक को अनेक जन्मजात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। परन्तु परिवेश ही इन शक्तियों का उपर्युक्त विकास करता है। जैसे - जैसे बालक विकसित होता है वह समाज एवं वातावरण की संस्कृति को आत्मसात करता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। माता-पिता या शिक्षक का कार्य एक शिल्पी या (Carpenter) की भाँति होता है परन्तु इसमें एक विशेष अन्तर है। शिल्पी या (Carpenter) निर्जीव वस्तुओं को तराश कर उसे सुन्दर रूप प्रदान करते हैं जबकि माता-पिता या शिक्षक एक जीवन्त बालक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। शिल्पी या (Carpenter) द्वारा यदि कोई त्रुटि हो जाए तो

वह उसे सुधार सकते हैं या एक नया पत्थर, व लकड़ी का टुकड़ा लेकर पुनः उसे वाँछित रूप प्रदान कर सकते हैं। परन्तु माता-पिता से बालक के विकास में यदि कोई भूल हो जाए तो उसकी अमिट छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़ जाती है तथा इस भूल का परिमार्जन संभव नहीं है। माता-पिता के कार्य में जिसका प्रयोग किया जाता है वह निर्जीव पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा नहीं अपितु एक अति संवेदनशील बाल मस्तिष्क है।

आधुनिक युग के माता-पिता, भौतिक सुख-सुविधाओं के अर्जन को बालक के व्यक्तित्व के विकास का मानदण्ड बना रहे हैं। प्रायः माता-पिता अपनी इच्छाओं व आंकाक्षाओं को बच्चे पर लाद देते हैं। वे बालक की मौलिक रचनात्मकता को पहचानने का प्रयास नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध हो जाता है। बालक को उसके विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता न देकर उसे कड़े अनुशासन में रखना चाहते हैं जिससे उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है।

परिवार ही बच्चों को सांस्कृतिक मान्यताएँ सिखाता है। संयुक्त परिवारों का टूटना अथवा माता-पिता के असंतोषजनक सम्बन्ध भी बालक के व्यक्तित्व को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। माता-पिता के तनावपूर्ण सम्बन्धों का आभास, बच्चों, प्रायः उनके चेहरों के भावों व एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में प्रयुक्त भाषा से उनके पारस्परिक सम्बन्धों की कटुता को पहचान लेते हैं। इससे उनमें निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्तित्व को कुंठित करते हैं। अतः परिवार के सदस्य आपस में शिष्ट, शालीन भाषा का प्रयोग करें।

प्रायः कौतुहलवश बच्चों अनेक प्रश्न पूछते हैं जिन्हें माता-पिता व शिक्षक डाँटकर उनकी मौलिक रचनात्मकता को दबाने का अपराध करते हैं। बच्चे से मित्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा उनकी बाल शंकाओं का निवारण अति आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से ही व्यक्तित्व में सकारात्मक गुण विकसित होंगे।

आज का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी हिंसा, अपराध, क्रूरता के प्रदर्शन द्वारा बालक के व्यक्तित्व विकास को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रहा है। मीडिया द्वारा सांस्कृतिक अवमूल्यन को रोकना, परिवार, माता-पिता व शिक्षकों का दायित्व है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि दिखाये जाने वाले सभी कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी नहीं हैं। अतः अपनी रुचि, उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाले

कार्यक्रमों में विकसित करें। जैसे उदाहरण के लिए, अनेक प्रकार के उपलब्ध पदार्थों में से हम अपने भोजन के लिए केवल स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पदार्थों का ही चयन करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें बालकों में उपर्युक्त चयन क्षमता विकसित करनी होगी।

बालक को अतिथि व अन्य लोगों के सामने दण्डित या अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपराध बोध से ग्रसित हो जाएँगे। बालक की प्रशंसा द्वारा माता-पिता उसके उत्साह व स्वाभिमान में वृद्धि कर सकते हैं। परीक्षा में कम अंक पाने पर प्रायः माता-पिता अपना आपा खो बैठते हैं और बालक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे बालक के आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है व आत्मबल भी कम होता है। बालक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कम अंक पाने के मूल कारण का पता लगाकर उस समस्या का निदान किया जा सकता है।

अत्यधिक संरक्षण या लाड़-प्यार बालक के व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। माता-पिता द्वारा उसे आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देकर, विषम परिस्थितियों का सामना करना सिखाना होगा। उसे शारीरिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करके, हार व जीत दोनों का सामना करना सिखाना होगा। बालक जब परिवार के सुरक्षित वातावरण को छोड़ कर समाज में प्रवेश करता है तो वह तनावग्रस्त रहता है व कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से नहीं कर पाता। इस प्रकार के व्यक्तित्व से उसे जीवन में असफलता ही हाथ लगती है।

पाठ-7

बच्चों को शिष्टाचार सिखाएँ



नित्यप्रति के जीवन में कितने ही ऐसे अवसर आते हैं जब सामान्य रूप से बरतने वाले शिष्टाचार की हम अवहेलना कर जाते हैं। दुःखद स्थिति तब होती है जब बड़े लोग अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार की आलोचना करते हैं। अर्थात् स्वयं हम व्यवहार में शिष्टाचार न बरतें और बच्चों से शिष्ट आचरण की अपेक्षा करें। बच्चे तो अनुकरण द्वारा वही सीखेंगे जो बड़े लोगों के व्यवहार में परिलक्षित होता है। परिवार ही वह प्रथम पाठशाला है जहाँ बच्चे शिष्टाचार का पाठ पढ़ते हैं।

वास्तव में शिष्टाचार मानव व्यवहार का मूल मंत्र है। हमारे जीवन में समायोजन की आधारशिला शिष्टाचार ही है। प्रायः देखा जाता है कि शिष्ट व्यवहार की सराहना की जाती है तथा अशिष्ट व्यवहार की निन्दा। हमें चाहिये कि बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को कभी मान्यता न दें बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से

समझायें। बच्चों के अच्छे आचरण की प्रशंसा करें क्योंकि प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की भूख होती है। प्रेरक के रूप में बच्चों को यह शिष्ट व्यवहार के प्रति उन्मुख करेगी। हमें बच्चों को बताना चाहिये कि शिष्टाचार के अभाव में व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। शिष्टाचार एक अर्जित गुण है जिसे बालक परिवार से ही आरम्भिक अवस्था में सीखता है तत्पश्चात स्कूल, संगी साधियों, पास-पड़ोस एवं सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से भी इस गुण का विकास होता है।

बच्चों को शिष्टाचार सिखाने के लिये निम्न कदम उठाये जा सकते हैं

1. परिवार में मेहमान के आने पर यदि बच्चा अपने मां-बाप से कहता है कि यह हमारे घर क्यों आये हैं? उसे सुनकर माता-पिता को लज्जा की अनुभूति तो होगी ही, मेहमान भी कुछ विपरीत सोचने के लिये बाध्य हो जायेगा। एक ही मकान में कई परिवार रह रहे तो तब भी ध्यान रखने की बात है कि हम रेडियो, टीवी, टेपरिकार्डर इतने जोर से न बजायें जिससे दूसरों के अध्ययन या सामान्य कार्यक्रम में व्यवधान हो। जोर-जोर से चिल्लाकर बात करना, अशिष्ट व्यवहार का परिचायक है।
2. यदि कोई व्यक्ति मिलने के लिये आता है तो केवल यह कह देना कि अमुक व्यक्ति घर में नहीं है, पर्याप्त न होगा बल्कि अभिवादन करने के पश्चात नाम, पता तथा आने का उद्देश्य पूछकर बताना चाहिये कि वह कब तक आयेंगे तथा किस समय भेंट सम्भव होगी। सामान्य सी बातें हैं जिसके पालन में कुछ व्यय नहीं करना पड़ता है और न कोई श्रम विशेष की आवश्यकता ही पड़ती है।
3. माता-पिता या अभिभावकों के व्यवहार में यदि शिष्टाचार प्रदर्शित होता है तो बच्चों भी शिष्टाचार का पालन करेंगे। जिस परिवार में परस्पर स्नेह, प्रेम बन्धुत्व, सौहार्द या अपनत्व की भावना होती है, वहां शिष्टाचार का वास होता है। इसके विपरीत जहां परस्पर कलह, स्वार्थ और द्वेष की भावना होती है वहां शिष्टाचार का सर्वथा अभाव पाया जाता है।

शिष्टाचार का महत्व

1. सभ्य समाज में और व्यवसाय तथा परिवार सम्बन्धी वातावरण में आचरण संबंधी जिन नियमों का पालन किया जाता है, वे सभी बातें शिष्टाचार में निहित हैं। शिष्टाचार का पालन जो लोग करते हैं वे ही सभ्य कहे जाते हैं। जो बच्चे शिष्टाचार से दूर भागते हैं वे असभ्य कहे जाते हैं। सभी बच्चों या छात्र, छात्राओं के लिये शिष्टाचार का पालन इसलिये और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे भावी जीवन की सुदृढ़ नींव का निर्माण होता है।
2. इसमें विविध गुण निहित हैं क्योंकि इससे व्यक्ति में विनय, धैर्य, सहिष्णुता आज्ञाकारिता, अनुशासन और व्यवहारकुशलता आदि गुणों का विकास होता है। शिष्टाचार हमारे आचरण का नैतिक प्रतिमान है इसकी महत्ता से बच्चों को अवगत कराना चाहिये क्योंकि जीवन के विविध क्षेत्रों एवं अवसरों पर इसकी आवश्यकता नित्य प्रति पड़ती रहती है। वैसे भी शिष्टाचार का पालन बच्चों द्वारा अपनाने से उनमें सामाजिकता का विकास समुचित रूप से होगा साथ ही उनके आपसी सम्बन्धों में भी दृढ़ता आयेगी।
3. बच्चे यदि सामाजिक सम्पर्क में शिष्टाचार का पालन करेंगे तो इससे स्थायी सम्बन्धों के विकास की सम्भावना बढ़ेगी। उन्हें चाहिये कि व्यवहार में सहपाठियों के प्रति मैत्री भाव को अपनार्यें तथा गुरुजन के प्रति विनय और आदर का भाव रखकर उनके निर्देशों का पालन करें। उनको परिवार में बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिये तथा छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिये। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो शिष्टाचार के नाते उसका कुशलक्षेम पूछना चाहिये तथा यथासम्भव सत्कार करना चाहिये जिससे वह अपनत्व महसूस करें।
4. बच्चों को सिखाना चाहिये कि पड़ोस में या उनके किसी सहपाठी अथवा मित्र के यहां कोई दुःखद घटना घटित होती है तो उनका कर्तव्य है कि वे उसे दृढ़स बंधाये तथा भरसक मदद करें। वैसे भी यदि कोई दुखी है तो शिष्टाचार के नाते हमें उसे सहयोग प्रदान करना चाहिये। शिष्ट व्यवहार बच्चों को यथार्थ की धरती पर मान्यता दिलाये हुए उसे आदर्श बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जो खुशी की निधि बिखेरता

है, सभी वर्ग के व्यक्तियों के प्रति चाहे तो वे छोटे हो या बड़े, समानता का भाव बरतने की प्रेरणा देता है। इससे सम्पन्न व्यक्ति को एक ऐसी उपलब्धि और संतोष का भाव मिलता है कि उसके समक्ष अन्य उपलब्धियों गौण हो जाती हैं। यह बच्चे में सहज ही विकसित नहीं हो जाता बल्कि अनवरत साधना के पश्चात इस गुण की प्राप्ति होती है। इस व्यवहार की सुगन्ध को विकसित करने एवं फैलाने में परिवार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

5. याद रखें कि बच्चे शिष्टाचार का समावेश अपने व्यवहार में इस प्रकार करें कि वह वास्तविक हो, हृदय से हो, न कि कृत्रिम या औपचारिक। यह बच्चों को नागरिकता का पाठ पढ़ाता है तथा कर्तव्यपालन के लिये प्रेरित करता है। अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करें तभी वे शिष्ट व्यवहार की ओर अग्रसर होंगे। शिष्टता, नम्रता, उदारता, सभ्यता, नियमबद्धता तथा सांस्कृतिक गुणों का विकास बच्चों में इसके पालन से होगा। निश्चित ही शिष्टाचार छोटे बड़े सभी के जीवन की प्रगति में सहायक है तथा इसका अभाव सफलता के मार्ग में अवरोधक है।
 6. इसके अनुपालन से संयम का विकास होता है तथा क्रोध का शमन भी। बच्चों को चाहिये कि क्षुद्र मनोवृत्तियों जैसे स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष एवं बैर भाव को भुलाकर परस्पर प्रेमपूर्वक शिष्टाचार रूपी व्रत का पालन करें। इसी में उनका गौरव है।
 7. इसको अपनाने से उनमें उच्छ्रंखलता का विनाश होगा तथा उच्च चरित्र और अच्छी आदतों का विकास भी।
- शिष्टाचार का पालन करने से निश्चय ही वे अच्छे इन्सान और नागरिक बनेंगे तथा सामाजिक बुराईयों से दूर रहेंगे। अतः बच्चों को चाहिये कि जीवन पर्यन्त वे शिष्टाचार का पालन अपने व्यवहार में करें।

पाठ-8 बालक का संवेगात्मक विकास

व्यक्ति की अनुभूतियाँ जब अपनी साधारण अवस्था में रहती हैं तब उन्हें 'राग' कहते हैं। किन्तु जब किसी भी कारण से ये अनुभूतियाँ प्रबल रूप धारण कर लेती हैं, तब हम उन्हें संवेग कहते हैं। पी0टी0 यंग के अनुसार, "संवेग व्यक्ति की एक तीव्र उपद्रव की अवस्था है; जिसका प्रभाव उस पर सम्पूर्ण रूप से पड़ता है, जो मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न होती है और जिसमें चेतन अनुभव, व्यवहार एवं अन्तरावयव सम्बन्धी कार्य सम्मिलित होते हैं।" इस परिभाषा से संवेग के सम्बन्ध में अनेक बातों का पता चलता है जैसे :-

1. संवेग की उत्पत्ति का आधार मनोवैज्ञानिक है। वातावरण की किसी संवेगात्मक उत्तेजना का प्रभाव ज्ञानेन्द्रियों द्वारा स्नायु तक पहुँचकर स्नायु प्रभाव उत्पन्न करता है, जो स्नायु मण्डल के विशेष भाग में पहुँच कर संवेग उत्पन्न करता है।
 2. प्रेम, हर्ष, भय, क्रोध वे अनुभूतियाँ हैं जो व्यक्ति को उत्तेजित कर देती हैं।
 3. इस उत्तेजना का प्रभाव व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यवहार पर पड़ता है।
- सैनफोर्ड के अनुसार, "संवेग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें चेतन, अनुभूति तथा आन्तरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाएँ सन्निहित होती हैं और जो अभिप्रेरित व्यवहार करने में सहायक या बाधक है होती है।

संवेगों की अभिव्यक्ति

संवेगों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकती है -

- (क) अभिव्यंजक संकेतों द्वारा तथा
- (ख) बोली द्वारा

(ग) **अभिव्यंजक संकेत** :- अनिच्छा प्रकट करने के लिए सिर हिलाना, दुर्गन्ध की अनुभूति होने पर नाक पर रूमाल रखना, दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए होठों को दृढ़ता से एक पर एक जमा लेना।

(घ) **बोली द्वारा** :- जिस प्रकार के संवेगों को प्रकट करना होता है वैसी ही कोमल या कठोर ध्वनि अथवा चढ़ती - उतरती, धीमी या तेज आवाज बनाई जा सकती हैं। श्रोता, प्रश्न करने वाली उठती हुई आवाज को, निश्चय प्रकट करने वाली धीमी आवाज या व्यंग्य करने वाले उच्चारण में भेद करने में सक्षम होता है।

बच्चों के संवेगों का महत्व

बालकों के दैनिक जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है।

1. दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संवेग 'हर्ष' है। हरलॉक के अनुसार, "शारीरिक रूप से हर्ष, प्रकृति की श्रेष्ठ औषधि है क्योंकि इससे तनाव समाप्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर्ष में बालक के सभी अनुभव सुखद हो जाते हैं।
2. जिन संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बालकों में पुनरावृत्ति होती है वे आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अधिकतर वही संवेगात्मक अनुक्रियाएँ आदत में परिवर्तित होती हैं जो बालक के लिए सुखदायी होती हैं।
3. जीवन के प्रति दृष्टिकोणों को संवेग प्रभावित करते हैं। बालक को अत्यधिक डांटने पर वह क्रोधित होता है व उसका समायोजन बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए स्मिता की सहेली मिसेज नीरजा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा अंकित आया। मम्मी व उनकी सहेली पर ध्यान न देते हुए बोला - मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। लौटने पर स्मिता ने उसे आड़े हाथों लिया, फटकारा कि उसने आंटी का अभिवादन नहीं किया। अंकित क्रोधित हो उठा। उसे याद आया कि कल ही उसकी मम्मी, पापा से उसकी दादी की निन्दा कर रही थी। अंकित ने सोचा, मम्मी स्वयं तो बड़ों का सम्मान नहीं करती, सारी अपेक्षाएँ बच्चों से ही करती है। इस क्रोध के कारण अंकित का अपने माता-पिता से समायोजन बिगड़ गया।
4. बच्चे संवेगों के द्वारा आत्म-मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। बालक की संवेगात्मक अभिव्यक्तियों से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन सम्भव है।

5. संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। यदि बालक की बड़ी हुई कार्यशीलता व्यक्त नहीं हो पाती तो वह नर्वस हो जाता है, उसमें वाणी सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अँगूठा चूसने और नाखून काटने जैसे व्यवहार भी विकसित हो सकते हैं।

बाल्यावस्था के कुछ विशिष्ट संवेग

I. भय :- भय एक ऐसी आन्तरिक अनुभूति है जिसके उत्पन्न होने पर बालक, भय उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से दूर भागना चाहता है। भय के कारण बालक में रोने, चिल्लाने काँपने, साँस तथा हृदयगति बन्द होने और रक्तचाप बढ़ने जैसे लक्षण दिखायी देते हैं। यह बालक की पाचन क्रिया को भी प्रभावित करते हैं।

भय की स्थिति दूर करने के उपाय

1. "मौखिक निर्देश" :- माता-पिता व अभिभावक भय को दूर करने के लिए मौखिक निर्देश का सहारा लेते हैं। इस विधि का प्रभाव बहुत कम होता है क्योंकि बालकों पर शब्दों की अपेक्षा वास्तविक अनुभवों का प्रभाव अधिक होता है।
2. **भयजनक स्थितियों से दूर रखना** :- बालकों के भय को दूर करने के लिए उन्हें भय के स्थान से दूर रखकर उनमें कौशलों का विकास करके, उन्हें उचित जानकारी दी जा सकती है।
3. "सामाजिक अनुकरण" :- भय से ग्रसित बालक को यदि उसी आयु के ऐसे बालकों के साथ रखा जा, जो नहीं डरते तो उनका भय स्वतः ही दूर हो जायेगा।

II. क्रोध :- क्रोध की अवस्था में मानसिक उथल-पुथल तीव्र गति से होता है। छोटे बालक इस संवेग का प्रदर्शन रो, कर चीजों को तोड़कर, बड़ों को मारकर करते हैं। यह संवेग, बालक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

क्रोध को दूर करने के उपाय

1. घर के वातावरण को स्वस्थ बनाकर एक सीमा तक बालक के क्रोध पर नियन्त्रण पाया जा सकता है।

2. बालक का ध्यान किसी दूसरी बात की ओर लगाकर भी उसका क्रोध दूर किया जा सकता है।
3. बच्चों का ध्यान दूसरी ओर करके, फिर क्रोध उपजाने वाली स्थिति पर चर्चा करनी चाहिये।

ईर्ष्या :- बालक में क्रोध के कारण, ईर्ष्या संवेग उत्पन्न होता है। इस संवेग को उत्पन्न करने में बालक के परिवेश की मुख्य भूमिका होती है। प्रायः माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति असमान व्यवहार, बालकों में परस्पर ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न करता है। इस संवेग के परिणाम स्वरूप, बालक में काटना, नोचना, धक्का देना जैसे प्रत्यक्ष व्यवहार उत्पन्न होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ईर्ष्यालु बालक बिस्तर पर पेशाब करके, उँगली चूसकर, ध्वंसात्मक व्यवहार करके अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है।

ईर्ष्या को दूर करने के लिए कदम


1. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को बालकों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिये।
2. परिवार में पुत्र व पुत्री के प्रति भेद-भाव पूर्ण आचरण से बचना चाहिए।
3. छोटे बच्चे की ओर ध्यान देते समय, परिवार के बड़े बच्चे का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।

प्रेम व स्नेह :- जिस बालक को स्नेह और प्रेम मिलता है उसका मानसिक विकास उचित प्रकार से होता है। छोटे बालक के स्नेह की प्रथम पात्रा उसकी माता होती है। जब बालक अपनी माता के साथ स्नेह का सम्बन्ध प्रस्थापित कर लेता है तो वह परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी अपना स्नेह प्रकट करने लगता है।

स्नेह का संवेग प्रस्थापित करने के उपाय

1. बालक की अवांछनीय क्रियाओं के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा उसे उचित दिशा-निर्देश देकर, उसमें प्रेम व स्नेह का संवेग उत्पन्न किया जा सकता है।
2. सामाजिक व पारिवारिक वातावरण द्वारा अर्जित व्यवहारों का ही प्रदर्शन बालक द्वारा होता है। इस कारण परिवार के सदस्यों का परस्पर सम्बन्ध स्नेहपूर्ण होना चाहिये जिसका अनुकरण बालक भी करेगा।

पाठ-9 मनोरंजन एवं स्वास्थ्य




मनोरंजन का महत्व

आज की शिक्षा पद्धति लोगों को पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान देती है जो संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है जबकि किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये संज्ञान पक्ष के साथ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास आवश्यक है। मनोरंजन में व्यक्ति यह सीखता है कि हम अपनी खुशियों को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं व कुण्ठा से बच सकते हैं।

मनोरंजन में बच्चों को व्यस्त देखकर माता-पिता या अभिभावक उन्हें प्रायः डाँटने-डपटने लगते हैं या उपदेश देने लगते हैं। वास्तविकता यह है कि मनोरंजन सभी आयु वर्ग के लोगों के लिये आवश्यक है। पढ़ने के साथ-साथ मनोरंजन भी महत्वपूर्ण है। आयु के अनुसार मनोरंजन के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। स्वस्थ रहने के लिये मनोरंजन अपरिहार्य है पर यह मनोरंजन स्वस्थ, रचनात्मक

और उपयोगी होना चाहिये। स्वास्थ्य का अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अवयव, ज्ञानेन्द्रियां सक्षम हों, परिश्रम पूर्वक व्यक्ति कार्य कर सके, गत्यात्मक कुशलता विद्यमान हो तथा मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ हो। मनोरंजन केवल शारीरिक ही नहीं होता यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से वह संयुक्त प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति दैनिक कार्य द्वारा उत्पन्न थकान एवं तनाव से मुक्त होता है। मनोरंजन से शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर कर प्रसन्नता एवं शक्ति की अनुभूति व्यक्ति को होती है। यह जीवन का अत्यावश्यक अंश है, इसके अभाव में जीवन दुःख, कष्ट, निराशा अर्न्तद्वन्द्व एवं तनाव से ग्रस्त हो जाता है। स्वस्थ एवं संतुलित व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति तथा समायोजन के लिये, मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मनोरंजन का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिये होना चाहिये। इसकी विविधता एवं विस्तार में जीवन के विभिन्न पक्षों का समावेश होना चाहिये।

मनोरंजन के साधन




मनोरंजन के लिये विविध साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीवीजन, पत्र पत्रिकायें, संगीत, नृत्य, यात्रा मेला, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अन्ताक्षरी, वाद-विवाद, नाटक, इनडोर तथा आउटडोर खेल आदि। स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय रहता है। इससे स्पष्ट है कि मनोरंजन एवं स्वास्थ्य वृद्धि का परस्पर धनिष्ठ संबंध है। मनोरंजन स्वाभाविक तथा आत्म

प्रेरित है। मनोरंजन से संतोष एवं आनन्द की प्राप्ति होती है जो मनोभौतिक रूप से स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। इससे जहां व्यक्ति तनाव और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त करता रहता है वहीं शक्ति का संग्रह भी करता है जिससे दैनिक जीवन के कार्य को अधिक क्षमतापूर्वक कर सके। विभिन्न समाजों में मनोरंजन की क्रियाओं में भिन्नता भी हो सकती है। हम लोग लोकगीत, लोकनृत्य, सामूहिक खेल, दौड़, दंगल, घुड़दौड़ तथा इसी प्रकार अन्य प्रतियोगिताओं व स्पर्धा से संबंधित क्रियाओं से मनोरंजन करते रहते हैं। मनोरंजन को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है जब इससे संबंधित उन क्रियाओं का चयन करें जिससे स्वास्थ्य की वृद्धि होती हो।

मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास

स्वस्थ होने के लिये मनोरंजन में स्वास्थ्य संबंधी विशेषतायें निहित हैं। मानव जीवन की विविध अवस्थाओं में, विविध रूप में मनोरंजन तथा तत्सम्बन्धी क्रियायें स्वास्थ्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में वृद्धि के लिये, चिन्ता से मुक्त होने के लिये शरीर और मन में संतुलन स्थापित होने तथा उत्तम समायोजन बनाये रखने के लिये मनोरंजन की उपयोगिता को किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके सृजनात्मक एवं रचनात्मक स्वरूप को पहचानें। राष्ट्र निर्माण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के मनोरंजन के कार्यों में लोगों को प्रेरित करें।

मनोरंजन का स्वरूप व स्तर



आयु, लिंग व्यवसाय, कार्य, रहन-सहन की दशा, जलवायु, भोजन, स्वास्थ्य स्तर, सांस्कृतिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर मनोरंजन का स्वरूप निर्धारित करना होगा। इस दृष्टि से मनोरंजन को निम्न स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. बाल्यावस्था
2. किशोरावस्था
3. युवावस्था
4. प्रौढ़ावस्था
5. बालिकाओं के लिये मनोरंजन
6. व्यवसायिक क्षेत्र

1. बाल्यावस्था में मनोरंजन

बाल्यावस्था में हम स्वास्थ्य की दृष्टि से मनोरंजन के अन्तर्गत गीत, नृत्य, कहानी कहना, पेंटिंग, मॉडल बनाना और पिकनिक आदि के माध्यम द्वारा बालक को स्वाभाविक विकास की ओर उन्मुख कर सकते हैं। इससे उनमें सामाजिकता, समझ एवं सहयोग का विकास होगा।

2. किशोरावस्था में मनोरंजन

किशोरावस्था में आत्मभिव्यक्ति की इच्छा प्रबल होती है। शारीरिक व्यायाम, कठोर एवं नियमित रूप से परिश्रम करना, खेलकूद, पर्वतारोहण, वन एवं दूरस्थ प्रदेशों का भ्रमण, फिल्म, ड्रामा, वाद-विवाद, ड्राईंग पेंटिंग एवं माडलिंग आदि को मनोरंजन के माध्यम के रूप में किशोरों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो सके।

3. युवावस्था में मनोरंजन

युवावस्था में निर्णय, दृष्टिकोण में परिपक्वता, स्थायित्व, सुरक्षा, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व एवं सामाजिकता आदि गुण विकसित होते हैं। इसलिये आयु तथा स्वास्थ्य के अनुरूप व्यवसाय, सौन्दर्यात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकलापों, जिसमें मनोरंजन निहित हों, की ओर युवकों को प्रेरित करना

चाहिये। इससे, उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होगा, भावना ग्रंथियों एवं चिन्ता से मुक्ति की अनुभूति होगी तथा रचनात्मकता का विकास भी होगा जो स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

4. प्रौढ़ावस्था में मनोरंजन

प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में व्यक्ति पूर्वपक्ष सक्षम नहीं होता। इस आयु में स्वस्थ रहने के लिये मनोरंजन के साधनों में टहलना, योग क्रिया, बागवानी, सार्वजनिक संस्थाओं के प्रबन्धन जैसे क्लब, पुस्तकालय और विद्यालय आदि से संबंधित कार्यों को अपनाना चाहिये।

5. बालिकाओं के लिये मनोरंजन

लड़कियों के लिये स्त्रियोचित गुणों के विकास एवं भावी जीवन की तैयारी हेतु मनोरंजन के कार्यक्रम निर्मित होने चाहिये। उनके लिये कार्य की समानता भले ही हो पर मनोरंजन के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से अन्तर रखना उचित होगा। स्वस्थ बने रहने के लिये उन्हें नृत्य, नाटक, खो-खो, तैरना, बास्केटबाल, बैडमिंटन, टेबुलटेनिस, हॉकी, गाना, पेंटिंग, गुड़िया बनाना, सिलाई कढ़ाई, भ्रमण आदि मनोरंजन के कार्यकलापों में भाग लेना उपयोगी होगा।

6. व्यवसायिक क्षेत्रों में मनोरंजन

विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों के लिये भी स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलकूद में भाग लेना, डायटिंग, पिकनिक, हेल्थ कैम्प, ड्रामा, सोसाइटी आदि में सक्रिय भाग लेना लाभदायक होगा। ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों के लिये सीमित अवकाश रहता है तथा आर्थिक रूप से सम्पन्नता के अभाव में विभिन्न क्लबों में वे भाग नहीं ले सकते। उनके लिये तैरना, व्यायामशाला में जाकर अपेक्षित कसरत करना, कबड्डी, वालीबाल, बैडमिंटन, भ्रमण, पर्वतारोहण तथा नाटक आदि में भाग लेना उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त रामलीला, लोकगीत एवं लोकनृत्य, भजन, अखाड़े में कसरत एवं कुश्ती में भाग लेना भी स्वास्थ्यवर्द्धक होता है।

मनोरंजन का उपयोग

मनोरंजन से केवल अवकाश का उपयोग ही नहीं होता अपितु कार्यकुशलता, क्षमता, गुणों के अर्जन, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि होती है साथ ही अतिरिक्त शक्ति का उपयोग होता है। स्वस्थ मनोरंजन से आत्मविश्वास, रचनात्मक चिन्तन, अनुशासन, सहिष्णुता, समायोजन, संवेगात्मक स्थिरता, शरीर का संगठित, सुडौल एवं संतुलित विकास भी होता है एवं समस्याओं, चिन्ता, निराशा, अवसाद एवं कष्ट से मुक्ति भी मिलती है। इससे इन्द्रियों का प्रशिक्षण होता है, ज्ञान का विस्तार, चारित्रिक विकास, नागरिकता की शिक्षा और उत्तम आदतों का निर्माण भी होता है। मनोरंजन में कल्पना एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंश भी निहित है। संगठनात्मक एवं योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना, सहयोग, सामाजिक दायित्व की समृद्धि भी मनोरंजन के साधनों द्वारा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अवकाश के समय को यूं ही नष्ट हो जाने देते हैं। वे स्कूल निर्माण, सड़क निर्माण, कुंओं की मरम्मत एवं सफाई तथा स्वच्छता अभियान में भाग लेकर नीरसता को समाप्त कर स्वास्थ्यवर्धक कार्यों में अपने को संलग्न कर सकते हैं। मनोरंजन के अभाव में नीरसता, थकान और अरुचि से अस्वस्थता में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्रीय क्षति स्वाभाविक है। मनोरंजन का स्वास्थ्य के निर्माण में तथा परोक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।

मनोरंजन से संबंधित क्रियायें

मनोरंजन से संबंधित क्रियाओं को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में शारीरिक व्यायाम, खेलकूद आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। दूसरे भाग में मानसिक एवं बौद्धिक कार्यकलाप जैसे, लेखन, पेन्टिंग, संगीत, टिकट संग्रह तथा माडलिंग आदि हैं। तीसरे भाग में आत्मसुरक्षा एवं अनुशासित जीवन से संबंधित प्रशिक्षण जैसे एन0सी0सी0, होमगार्ड, स्काउटिंग तथा सेवादल आदि। चौथा भाग सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित कार्य हैं, जैसे नाटक, नृत्य, तमाशा, मेला, धार्मिक, सामाजिक आयोजन तथा उत्सव आदि। पांचवे भाग में राष्ट्रीय रचनात्मक क्रियायें हैं जिससे सहयोग एवं भावनात्मक एकता का विकास होता है।

मनोरंजन के प्रोत्साहन हेतु प्रयास


विभिन्न संस्थाओं जैसे विद्यालय, ऐच्छिक संगठन, व्यायामशाला, औद्योगिक संस्थान, राजकीय संस्थान, स्वयं सेवक समाज एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा मनोरंजन के कार्यक्रमों का अधिकाधिक विस्तार, प्रचार एवं प्रसार होना चाहिये जिससे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों। स्वस्थ समाज से राष्ट्र निर्माण में सहयोग भी स्वाभाविक रूप से होगा। पंचवर्षीय योजना में योजनाबद्ध ढंग से इन संसाधनों का विकास अपेक्षित है। समय-समय पर मनोरंजन के साधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये जिससे स्वास्थ्य के लिये मनोरंजन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मनोरंजन साधन एवं साध्य दोनों हैं। निर्विवाद रूप से सत्य है कि स्वास्थ्य के लिये मनोरंजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के कल्याण एवं विकास के लिये आवश्यक है कि नागरिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों और इन उपयुक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मनोरंजन द्वारा ही सम्भव है।

आज इंटरनेट, फेसबुक व टेलीवीजन मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सभी बालकों को सरलता से, घर बैठे ही उपलब्ध है परन्तु माता पिता को बालकों को उपर्युक्त कार्यक्रम का चुनाव करना सीखा होगा। बालकों को उनकी सभ्यता, आयु, एवं योग्यता के आधार पर मनोरंजन के कार्यक्रमों के चुनाव हेतु प्रेरित करना होगा। अनेक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होते हैं जैसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल, इनके द्वारा मनोरंजन एवं खेलों द्वारा बालकों में नेतृत्व क्षमता तथा जीवन की विपरीत परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करने की प्रकृति विकसित होती है।

पाठ-10 बालक का मानसिक स्वास्थ्य

आज शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में लोग अत्यन्त जागरूक हैं, जबकि शरीर का मुख्य भाग मस्तिष्क है जिसके विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर्दी-जुकाम एक छोटी समस्या है परन्तु शारीरिक रूप से कष्टदायक है व किसी बड़ी बिमारी का सूचक है। इस सर्दी - जुकाम होने के अनेक कारण होते हैं, जैसे सर्द-गर्म व मौसम का बदलना, पानी बदलना इत्यादि। इसी प्रकार सर्दी-जुकाम के समान ही भावनाओं का जुकाम होता है। संवेगात्मक रूप से, किसी की कही कड़ी बात मस्तिष्क को प्रभावित करती है व भावनाओं के जुकाम के रूप में दिखाई देती है। इसके नकारात्मक पहलुओं के बाहर न निकलने पर मस्तिष्क को क्षति पहुँचती है।

मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषताएँ



1. मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पर्यावरण व परिस्थितियों का ज्ञाता व नियंत्रण रखने वाला व उन्हीं के अनुकूल आचरण रखता है।
2. वह स्वयं तथा पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखता है।
3. आवश्यकता एवं इच्छानुसार पर्यावरण तथा वस्तुओं का लाभ उठाता है।
4. आवश्यकता पूर्ति हेतु समाज के अन्य लोगों को बाधा नहीं पहुँचाता।
5. सामाजिक, आदर्श-चरित्र वाला, संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है।
6. स्पष्ट उद्देश्यवाला, साहसी तथा समस्या का सामना करने वाला होता है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक की विशेषताएँ

1. वह स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में असमर्थ होता है।
 2. वह अनिश्चित मन, अस्थिर - बुद्धि व संवेगात्मक रूप से असंतुलित होता है।
 3. वह असामाजिक, दुःखी तथा स्वार्थी होता है।
 4. साधारण सी बाधा एवं समस्या उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है।
 5. स्नायु रोग से पीड़ित, मानसिक द्वन्द्व, तनाव तथा कुण्ठा से युक्त होता है।
 6. अनिश्चित उद्देश्य वाला, घृणा, संदेह, द्वेष व बदले की भावना वाला होता है।
- बालकों में साधारणतया: मानसिक रूप से अस्वस्थता के मुख्य कारण होते हैं - कुण्ठा, तनाव व मानसिक द्वन्द्व।
1. **कुण्ठा** :- जब बालक अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है एवं लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास भी करता है परन्तु मार्ग में आये अवरोधों या बाधाओं को दूर करने के में असमर्थ होने के कारण उसे निराशा की अनुभूति होती है, तब इसे ही मनोवैज्ञानिक भाषा में कुण्ठा कहते हैं।

कुण्ठा के कारण

कुण्ठा के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे आर्थिक कठिनाइयाँ, शारीरिक दोष, विरोधी इच्छाएँ, विरोधी उद्देश्य आदि।

कुण्ठा के परिणाम

1. बालक के विकास एवं समायोजन में बाधा।
2. बालक की भावनात्मक दशा अस्थिर हो जाती है जिससे वह असंतुलित हो जाता है।

3. असाधारण व्यक्तित्व का प्रकाशन।
 4. असमाजिकता और विमुखता।
 5. मानसिक तनाव में वृद्धि और मानसिक रूग्णता।
- 2- **तनाव** :-तनाव, बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसमें उत्तेजना व उसमें असंतुलन उत्पन्न कर देता है। यदि बालक क्रियाशील होकर उत्तेजना व असंतुलन को समाप्त कर देता है तो तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

तनाव कम करने की विधियाँ

तनाव कम करने की दो मुख्य विधियाँ हैं - (प) प्रत्यक्ष विधि (पप) अप्रत्यक्ष विधि।

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थाई समाधान के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष विधियों के प्रकार निम्न हैं :-

- (क) **बाधा निवारण** :- इस विधि द्वारा बालक उस बाधा का निवारण करता है जो उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने देती।
- (ख) **अन्य उपाय की खोज** :- जब बालक बाधा का विनाश या निवारण नहीं कर पाता तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की खोज करता है।
- (ग) **अन्य लक्ष्य का निर्माण** :- जब बालक अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसके स्थान पर किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण कर लेता है।
- (घ) **निर्णय व चुनाव** :- जब बालक के समक्ष दो समान रूप से वांछनीय परन्तु विरोधी इच्छाएँ होती हैं तो वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उन पर विचार करता है और अन्त में उनमें से एक का चुनाव करने का निर्णय लेता है।

अप्रत्यक्ष विधि

इस विधि का प्रयोग केवल दुःखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि के निम्न प्रकार हैं :-

1. **सम्पर्क तोड़ लेना** :- जब बालक उस परिस्थिति से ही बचना चाहता है जो उसमें तनाव पैदा करें जैसे-मित्र द्वारा मज़ाक उड़ाने पर उससे सम्पर्क तोड़ लेना।
2. **बाल्यावस्था की प्रतिक्रिया**:-जब बालक समस्या का सामना करने के लिए बाल्यावस्था की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है उदाहरण - पैर पटकना, तुतलाना आदि।
3. **दिवः स्वप्न देखना** :-तनाव कम करने के लिए बालक सदैव कल्पना जगत में ही विचरण करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में फेल होने पर स्वयं को एक उच्च अधिकारी के रूप में देखता है।
4. **महान पुरुष के साथ एक होने की विधि** :-इस विधि में बालक किसी महान पुरुष, अभिनेता, राजनेता आदि के साथ एक हो जाने का अनुभव करता है और फिर इनके व्यवहारों का अनुकरण करके संतोष का अनुभव करता है।
5. **औचित्य सिद्ध करके**:-बालक, वास्तविक कारण न बताकर ऐसा कारण बताता है जिसे लोग अस्वीकार नहीं कर सकते और वह अपना औचित्य सिद्ध कर लेता है।
6. **अन्य पर दोषारोपण द्वारा** :-इस विधि में बालक अपने दोष का आरोपण दूसरे पर करता है यहाँ पर 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' वाली कहावत चरितार्थ होती है। उदाहरण के लिए, फेल हो जाने पर सारा दोष, परीक्षक पर डाल देना।
7. **मानसिक द्वन्द्व** :-जब बालक को पर्यावरण में कुछ विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है तब उसके मन में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब बालक को दो बिल्कुल विरोधी वस्तुओं में से एक का चुनाव करना पड़ता है तो भी उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष की दशा में, बालक में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है तथा वह मानसिक द्वन्द्व से पीड़ित हो जाता है।

मानसिक द्वन्द्व के कारण

मानसिक द्वन्द्व के कई कारण हो सकते हैं जैसे जैविकीय या भौतिक कारण संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण आदि।

परिणाम

मानसिक द्वन्द्व के परिणाम स्वरूप बालक -

1. असामान्य संवेग का प्रदर्शन करता है।
2. एकान्तप्रिय या अन्तर्मुखी हो जाता है।
3. बालक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।
4. बालक सामाजिक अपराध की ओर प्रवृत्ति रखता है।

मानसिक द्वन्द्व को समाप्त करने की विधियाँ

1. बालकों को असफलता का सामना करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
2. बालकों में विरोधी बातें या प्रश्न उत्पन्न न होने दें।
3. बालकों के सामने अत्यन्त उच्च आदर्श न रखें।
4. स्वयं निर्णय लेने हेतु प्रेरित करें।
5. विद्यालय या परिवार के वातावरण में तनाव न होने दें।
6. आवश्यकता पड़ने पर मानसिक चिकित्सा करवायें।

पाठ-11 अवसामान्य बालकों का उन्नयन



अवसामान्य बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं

1. दैहिक अक्षमता युक्त बालक।
2. मन्दित मनस्क बालक।
3. अकाल प्रौढ़ बालक।

इन बालकों में आत्महीनता, आत्मग्लानि या निराशा की भावना विद्यमान होने के कारण अपनी योग्यताओं में कमी का अनुभव होता है। माता-पिता का कटु स्वभाव, उनकी व्यग्र एवं चिन्तित निगाहें भी इसके लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। कभी-कभी अत्यधिक संरक्षण एवं तिरस्कार की प्रवृत्ति भी हीनता की भावना उत्पन्न करती है।

1. **दैहिक अक्षमता युक्त बालक :-** अपंग, अन्ध, दुर्बल दृष्टि, बधिर, कम सुनने वाले, हकलाने वाले तथा दोषपूर्ण वाणी बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जन्मजात दोष, दुर्घटना या रोग के प्रभाव के कारण अपंगता आती है। अपंग बालक सामान्य अवस्था में अपनी हड्डियों या मांसपेशियों का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। इन बालकों की बौद्धिक योग्यता सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। अपनी शारीरिक कमी के कारण ये बालक दुखी रहते हैं। विकलांगता से बच्चे का व्यवहार और कार्यशक्ति प्रभावित होती है जिससे उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है।

बधिर या कम सुनने वाले वे हैं

(क) जिन्होंने बोलना सीखने से पूर्व ही अपनी श्रवण-शक्ति खो दी हो।

(ख) जिन्होंने सुनने की शक्ति के साथ-साथ बोलने की शक्ति भी खो दी हो।

(ग) बोलना सीखने के बाद जिन्होंने श्रवण-शक्ति खो दी हो।

हकलाने तथा दोषयुक्त वाणी वाले बालकों में वे बालक आते हैं, जो नाक से बोलते हैं, धीरे-धीरे बोलते हैं, कर्कश स्वर में बोलते हैं, तुतलाते या हकलाते हैं। वाणी सम्बन्धी दोषों का कारण त्रुटिपूर्ण अनुकरण तथा माता-पिता की लापरवाही है। हकलाने का कारण सांवेगिक होता है।

निर्बल या नाजुक बालकों की देह दुर्बल होती है, ये बालक जल्दी थकान का अनुभव करते हैं।

2. **मन्दित मनस्क बालक :-** इन बालकों को मन्द-बुद्धि बालक भी कहा जा सकता है। इनकी बुद्धि-लब्धि 85 से कम होती है। यह बोलना भी देर से सीखते हैं। मन्द-बुद्धि बालक या तो धीमी गति से कार्य करते हैं या अस्थिर चित्त के हाते हैं।

3. **अकाल प्रौढ़ बालक :-** यह बालक प्रतिभावान प्रतीत होते हैं परन्तु इनकी बुद्धि लब्धि साधारण ही होती है। इनकी संख्या बहुत कम होती है व केवल उन परिवारों में मिलते हैं जहाँ खुशामदी लोगों का आना-जाना हो।

अवसामान्य बालकों के उन्नयन हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं

1. विकलांग बच्चों के प्रभावित अंग को उपकरणों के सहयोग से आंशिक रूप से कार्यक्षम बनाया जा सकता है।

2. विकलांग बच्चों को समाजोपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि वे तनावग्रस्त न हों। उन्हें स्वतन्त्र रूप से भावाभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। उनका परिहास या आलोचना कदापि न की जाए।
3. माता-पिता द्वारा इन बच्चों के प्रति अन्य बच्चों की ही तरह समान प्यार एवं व्यवहार हो। उन्हें बच्चों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिये।
4. विकलांग बच्चों को सामाजिक समारोह, उत्सव एवं सामूहिक कार्यकलापों में अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिये।
5. विकलांग बच्चों के बौद्धिक स्तर एवं अन्य योग्यताओं का निरीक्षण कर उन्हें उन्नयन हेतु निर्देशन दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति से उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है।
6. इन बालकों को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले गए हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए सरकारी प्रयास के अतिरिक्त समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकायों द्वारा सहयोग दिया जाना अपेक्षित है।
7. स्नायु दौर्बल्य की प्रवृत्तियाँ विकलांग बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जिससे वे अर्न्तमुखी, चिन्ताग्रस्त और अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए उनके विकास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था को बल दिया जाना चाहिये।

विकलांग बालकों के लिए खेलों का महत्व

विकलांगों के व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु खेल द्वारा भविष्य की तैयारी होती है। इसमें हम अतीत के अनुभवों को दोहराते हैं। खेल से शक्तिवर्धन भी प्राप्त होता है। खेल से बालक चुस्त, स्फूर्तिमय एवं प्रसन्न होते हैं।

मूकबधिर बच्चों को पेंटिंग व रंग साज से सम्बन्धित कार्य की ओर उन्मुख किया जा सकता है। अंधे बच्चों के लिए फर, रबर, रूई, लकड़ी एवं प्लास्टिक के खिलौने आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

गूंगे - बहरे एवं अपंग बच्चे पहिएदार, घूमने वाले खिलौने, ब्लॉक-बिल्डिंग, पिकचर, ट्रेन, इंजन, दौड़धूप, रस्साकशी, क्रिकेट, पतंग, कैरम, लूडों एवं मानवीय आकृतियों से सम्बन्धित खेल, खेल सकते हैं। दो या तीन वर्ष की आयु से ही

बच्चों में निर्माण की इच्छा होती है। वे पानी, बालू या मिट्टी आदि से खेलते हैं। खेल के माध्यम से कुंठाएँ व संवेग व्यक्त होते हैं। किन्डरगार्टन एवं मान्टेसरी आदि शिक्षण प्रणालियाँ खेल पर आधारित हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रोत्साहन प्रदान कर निश्चित रूप से विकलांग बालकों के भविष्य को उन्नत बनाया जा सकता है। जिससे वे समायोजित होकर समाज के उपयोगी घटक बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर सकें।

पाठ-12 बालक और अनुशासन



निवेदिता ने अपने बेटे नवीन से कहा “मैं मार्केट जा रही हूँ, टी0वी0 पर फिल्म आने में अभी एक घण्टे की देर है। तब तक तुम गृहकार्य पूरा कर लो। आधे घण्टे पश्चात् वह लौटी तो देखा की नवीन टी0वी0 कार्यक्रम देख रहा है। वह खीझ उठी, गुस्सा भी आया। उसी आवेश में उसने टी0वी0 बन्द कर दिया और कहा “फिल्म तभी देखने दूँगी जब तुम गृहकार्य पूरा कर लोगे। आजकल बच्चों में अनुशासनहीनता की जो प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है उसके मूल कारण, परिवेश बदलने, मूल्य एवं अभिभावक की मनोवृत्ति है। अनुशासित बच्चे जहाँ सफलतापूर्वक अपने कार्य को सम्पन्न कर लेते हैं वहीं अनुशासनहीन बच्चे कार्य को सुनियोजित ढंग से कर सकने में असमर्थ होते हैं।

बच्चों को अनुशासित रखने के उपाय

1. **स्नेहपूर्ण व्यवहार :-** बच्चे को अनुशासित रखने में स्नेहपूर्ण, व्यवहार का बहुत महत्व है। इसके अभाव में बच्चे का व्यवहार उच्छ्रंखल हो जाता है।
2. **अनुकरण द्वारा सिखायें :-** बालक परिवार में अनुकरण द्वारा बहुत सी चीजें सीखता है। यदि परिवार में बड़े लोग अनुशासित हो तो बालक भी अनुशासन की ओर प्रेरित होगा।
3. **माता-पिता द्वारा उच्च आदर्शों का पालन :-** यदि माता-पिता स्वयं बालक के समक्ष उच्च आदर्श प्रस्तुत करे तो बालक निश्चित ही अनुशासित होगा। बालक को किसी भी नियम पालन का निर्देश देने से पहले माता-पिता व अभिभावकों द्वारा नियमों को मानना चाहिये। उदाहरण के लिए यदि हम स्वयं देर से सो कर उठते हैं तो बच्चे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि केवल कह भर देने से उसमें प्रातः उठने की आदत विकसित हो जाएगी।
4. **प्रताड़ना के स्थान पर उत्साहवर्धन :-** बच्चों के अनुशासन विहीन कार्यों के कारण उसे प्रताड़ित न करें बल्कि उसे समझाएं और पथ प्रदर्शन करते हुए उसका उत्साहवर्धन करें।
5. **बच्चों का विश्वास प्राप्त करके :-** बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसके विश्वास को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि माता-पिता व अभिभावक आक्रोश या चिड़चिड़ाहट व्यक्त करते हैं तो बालक में भी असहयोग की प्रवृत्ति पनपेगी। माता-पिता द्वारा दृढ़ता अवश्य दिखाई जाए परन्तु यह दृढ़ता स्नेहयुक्त होनी चाहिये तभी बालक का व्यवहार सहयोगपूर्ण हो सकेगा।
6. **बालक की जिज्ञासा का समाधान करके :-** बालक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएँ एवं जिज्ञासाएँ होती हैं। इनका समाधान माता-पिता द्वारा धैर्यपूर्वक किया जाना चाहिये अन्यथा बालक कुसमायोजन एवं अनुशासनहीन की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
7. **बालक की दिनचर्या में समय-सारणी को सम्मिलित करें :-** बालक की सम्पूर्ण दिनचर्या एक समय सारणी के अनुरूप बनाकर उसमें नियम पालन की प्रवृत्ति विकसित की जा सकती है।

8. **अनुदार न बनकर उदार बने :-** अभिभावक को चाहिये की वह बच्चों के प्रति अनुदार न बनकर उदार बनें, इससे दोनों के मध्य विरोध कम होगा। बालक को खेलने का पर्याप्त समय दिया जाए जिससे वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से अनुशासित हो।
9. **बच्चों को सदैव आदेश न दिया जाए :-** जिस बात का बच्चों से पालन करवाना चाहते हो उसे तर्क सहित समझाएँ। बच्चे को सदैव आदेश देने से उसकी प्रतिक्रिया शिथिल हो सकती है साथ ही वह उपेक्षा भी दिखा सकता है।
10. **दण्ड की अपेक्षा पुरस्कार का प्रयोग करें :-** दण्ड से बालक की स्वाभाविक प्रगति नहीं हो पाती। पुरस्कार से कुछ सफलता अवश्य मिलती है परन्तु दीर्घकाल में यह प्रवृत्ति हानिकारक भी हो सकती है। बच्चे को अनुशासित करने के लिए कभी धमकी न दें।
11. **बालक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिये :-** बालक अपने अच्छे कार्यों के लिए अपने माता-पिता से मान्यता की अपेक्षा करते हैं तभी वह उनके प्रति सम्मान का भाव रख पाते हैं।
वास्तव में बच्चे में अनुशासन, प्यार की नींव पर, एवं प्यार द्वारा नियंत्रित होना चाहिये। अनुशासन के लिए भय नहीं अपितु प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अनुशासन केवल व्यक्तिगत प्रगति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के उत्थान हेतु भी आवश्यक है।

पाठ-13 बालकों में अपराधी प्रवृत्ति

बालकों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती है। जब बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो इनकी पूर्ति के लिए वे समाज विरोधी रास्ते अपनाते हैं। इस प्रकार के बालक, विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न करते हैं। यह बालक कुसमायोजित होते हैं व मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आते हैं-एक सामान्य और दूसरे कठोर कुसमायोजित बालक। कठोर कुसमायोजित बालक, सामाजिक व राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं जो दण्डनीय होते हैं। यह बालक चोरी करना, जेब काटना, हत्या का प्रयास करना, जैसे कार्यों को करते हैं।

अपराधी बालकों के लक्षण



- इनकी आवश्यकतायें अधिक होती है जिन्हें पूरा करने के लिए यह गलत रास्ते पर चलते हैं।
- यह उग्र स्वभाव के व कुण्ठाग्रस्त होते हैं।
- यह स्वार्थी व दुस्साहसी होते हैं।
- यह सामाजिक व राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
- यह अपना बचाव करने हेतु अनेक कुर्तकों का सहारा लेते हैं।

बाल अपराध के मुख्य कारण है

- पर्यावरण से सम्बन्धित कारण
- मनोवैज्ञानिक कारण

पर्यावरण से सम्बन्धित कारण :- बालक अपने पर्यावरण से अपराध करने की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेता है। इस पर्यावरण के अंतर्गत उसका परिवार, पास-पड़ोस, सामाजिक पर्यावरण व विद्यालय आता है।

- परिवार :-** माता-पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रायः बालक को अपराधिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। आज के युग में पिक्चर व टेलीविजन सीरियल देख कर भी बालक अपराध करने लगते हैं। परिवार के सदस्य यदि अपराधी हो, तो इसका कुप्रभाव बालकों पर पड़ता है।
- पास - पड़ोस :-** बालक अपने पास-पड़ोस के जिन बच्चों की संगत में रहता है या खेलता है, वह भी उसे अपराधिक प्रवृत्ति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। प्रायः बुरी संगत के कारण बालक चोरी, झूठ बोलना जैसे अपराध करने लगते हैं।
- सामाजिक पर्यावरण :-** बालक पर सामाजिक पर्यावरण का भी गहरा प्रभाव उस पर पड़ता है। सार्वजनिक स्थलों पर लूट, आगजनी, आन्दोलन, आदि का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। इस प्रकार के हिंसात्मक माहौल भी बाल - अपराध को बढ़ावा देते हैं।
- विद्यालय पर्यावरण :-** विद्यालय में यदि अनुशासनहीनता का माहौल हो तो इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। इस प्रकार के वातावरण में बालक पढ़ने-लिखने की अपेक्षा नकल करने जैसे दण्डनीय अपराधों में अधिक रूचि लेने लगते हैं।

(e) **मनोवैज्ञानिक कारण :-** बाल अपराध का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण कुसमायोजन है जो शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होता है। प्रायः संवेगात्मक द्वन्द्व के कारण भी बालक विरोधी कार्य करने लगता है।

बाल अपराध को रोकने के उपाय :- बाल अपराध को रोकने के लिए परिवार, मनोवैज्ञानिक व कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है।

• पारिवारिक उपाय

माता-पिता द्वारा बालकों के समक्ष नैतिक आचरण, उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये। माता-पिता को बालक की समस्या को बातचीत व सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल करना चाहिये। बालकों की मित्र-मण्डली पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। परिवार के सदस्यों को बालक को अच्छे-बुरे का भेद बताना चाहिये। बालक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिये।

• मनोवैज्ञानिक उपाय

मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल अपराध को रोकने की अनेक विधियाँ बतायी गई हैं जैसे -

1. **मनोविश्लेषण:-** इस विधि में स्वतन्त्र साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण अथवा सम्मोहन द्वारा बालकों की अचेतन पड़ी इच्छाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करके, उसके अनुरूप उपचार किया जाता है।
2. **मनोअभिनय:-** इस विधि के अंतर्गत बालकों को अपनी इच्छा के अनुसार नाटकों में पात्र का चुनाव करके, अभिनय का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तथा उनका उपचार किया जाता है।
3. **खेल चिकित्सा:-** इस विधि के अंतर्गत बालकों को ऐसे खेल खेलने के अवसर दिए जाते हैं। जिनमें उनकी मानसिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन हो जाता है। प्रायः इन खेलों में उनकी अपराधिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है जिसका उपचार किया जा सकता है।

कानून द्वारा उपलब्ध उपाय


बाल अपराध की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कानूनी उपाय हैं जैसे -

1. **बाल न्यायालय :-** 12 से 18 वर्ष के बालकों के अपराधों की सुनवायी इन न्यायालयों में होती है। बालकों को वयस्कों से भिन्न दण्ड दिए जाते हैं। अधिकांशतः उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है।
2. **प्रशिक्षण गृह :-** प्रथम बार अपराध करने वाले बालकों को प्रशिक्षण गृह भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें एक संस्था द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ आने वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ विद्यालय अवसर भी दिया जाता है।
3. **बाल सुधार विद्यालय :-** इन विद्यालयों में अपराध करने वाले बालकों को व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. **बाल बन्दीगृह :-** बाल अपराधियों के लिए स्थापित इन बन्दीगृहों का वातावरण सामान्य जेलों से भिन्न होता है। यहाँ उनकी शिक्षा एवं हस्तकौशल का प्रबंध किया जाता है। कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के पश्चात् बाल अपराधियों का पुनर्वास भी करवाया जाता है।
5. **बाल सलाह केन्द्र:-** इन केन्द्रों में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा बाल अपराधियों को परामर्श दिया जाता है। इन केन्द्रों पर आने वाले बालकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य के लिए उनके माता पिता को भी निर्देश दिए जाते हैं।
6. **बाल अपराधियों की शिक्षा:-** बाल अपराधियों के सुधार के साथ-साथ उनकी शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अन्य विषयों के साथ गणित, नागरिकशास्त्र, नैतिक शास्त्र, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा दी जाती है। इन बालकों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विभिन्न कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। इनके लिए पाठ्यसहगामी क्रियाएँ और शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

पाठ-14

बच्चों में शरारत करने की प्रवृत्ति

शरारत करने के मूल कारण



बच्चों में शरारत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रायः उनकी शिकायतें अभिभावक को सुननी पड़ती है। चंचलता एवं चपलता के कारण बच्चे शैतानी किया करते हैं पर कभी-कभी इस शैतानी में भी सूझबूझ छिपी होती है। शैतानी करने के लिये बालक नयी-नयी युक्तियों को खोजता है। स्वाभाविक है कि शैतानी, मानसिक विकास में कुछ सीमा तक सहायक होती है।

प्रायः यह देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, शरारतें भी अधिक करते हैं। ऐसे समय में यदि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वे दबू या भीतू किस्म

के हो सकते हैं। जो बच्चे औसत या औसत से कम बुद्धि वाले होते हैं उनके मस्तिष्क में शैतानी के विविध स्वरूप अपेक्षाकृत कम ही आ पाते हैं।

बच्चों की शरारत के प्रति वयस्कों का दृष्टिकोण


1. बच्चों की शिकायत उनके संगी साथी या पड़ोस के लोग करते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हीं के सामने बच्चे को डाँटे या मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे में भावना ग्रन्थियाँ प्रभावित हो सकती हैं, जो उसके सहज व्यक्तित्व विकास में बाधक होंगी।
2. बच्चे की शैतानी के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। यदि आप समझते हैं कि उसकी शैतानी अनुचित है, तो उसे एकान्त में समझायें। इससे उसके अहम् को चोट नहीं पहुँचेगी और वह आपके दृष्टिकोण को समझकर तदनु रूप आचरण करेगा तथा आपके प्रति सम्मान भाव भी बनाये रखेगा।
3. मान लीजिये कक्षा का एक छात्र किसी दूसरे छात्र के बस्ते में कोई चीज रख देता है तो इसके मूल में चोरी की भावना नहीं बल्कि उसे परेशान करने की प्रवृत्ति ही मूल रूप में उत्तरदायी है। कभी-कभी इसका परिणाम खराब हो सकता है क्योंकि निर्दोष बच्चा लाँछित हो सकता है।
4. भय से बचने के लिये भी किसी प्रकार की शैतानी हो सकती है। जैसे किसी बच्चे से कोई चीज टूट जाए तो वह उसे इस प्रकार रख दे जिससे परिवार के बड़े लोगों को उस बच्चे पर शक न हो।
5. बदले की भावना भी बच्चे को शैतानी करने के लिये प्रेरित करती है। यदि आपका बच्चा इस प्रकार के कार्य करता है तो समझा बुझाकर अंकुश लगाने का प्रयास करें। इसी प्रकार बच्चे में मशीनरी कार्यों के प्रति रुचि है तो हो सकता है कि घर में इस प्रकार की चीजों, रेडियो, टेपरिकार्डर या खिलौना आदि की टूट फूट हो जाए। ऐसे समय में नुकसान हो जाने पर भी मूल भावना को समझते हुए उसे मशीनरी कार्यों को सीखने के संबंध में जानकारी दें और निर्देशन में उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दें।
6. बच्चों की शैतानी एक सीमा तक अवश्य ही उचित है। याद रखिये बच्चे, बच्चे ही हैं उनमें प्रौढ व्यक्तियों की तरह धीर, गंभीर, शालीन और संयत व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

7. बच्चों की शिकायत करने की प्रवृत्ति होती है पर इसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिये अपितु इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया जाना चाहिये। अभिभावक को चाहिये कि वह न्यायपक्ष की अवहेलना न करे।

बच्चों की शैतानी विविध रूप से देखने को मिलती है, जैसे छेड़ना, छीनना, चिढ़ाना, तोड़फोड़ तथा शिकायत करना। इन सबमें उचित अनुचित का विचार करके बच्चे के प्रति तदनुसार व्यवहार अपनाना चाहिये जिससे उनका समुचित विकास हो सके। प्यार के अभाव में या उपेक्षा मिलने पर भी बच्चे शैतानी करने लगते हैं। परिवार का वातावरण, प्रेरणादायक बनाये रखें और बच्चे के अच्छे कार्यों को प्रशंसा कर मान्यता दें, इससे बच्चे में शैतानी का गलत रूप विकसित नहीं होगा। प्यार से समझाकर उसकी प्रशंसा कर बच्चों की शैतानी को पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है। ईर्ष्या के कारण भी बच्चे शैतानी करते हैं इसको स्नेह प्रदान कर कम किया जा सकता है। बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति स्व अनुभव के द्वारा होती है। किसी चीज के कल पुर्जे खोलने आदि से वस्तु टूट जाती है और आप इस शैतानी के कारण उसे दण्ड देते हैं तो उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर कुठाराघात होता है। बच्चे कई बार जोखिम के कार्य कर बैठते हैं, ऐसे समय में उन्हें परिश्रम करने वाले खेलों की ओर उन्मुख करना उपयोगी होता है। ऐसा करने पर उनकी संचित शक्ति का समुचित उपयोग होगा। उनमें मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित करें और सामूहिक कार्यकलापों की ओर प्रवृत्त करें जिससे उनकी शैतानी की प्रवृत्ति को रचनात्मकता की ओर उन्मुख किया जा सके।

बच्चों में शरारत करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जिनसे किसी को हानि नहीं पहुंचती अपितु सभी का मनोरंजन होता है। इस प्रकार की शरारतों को करने से बालक को न रोका जाए। बालक को यह समझाया जा सकता है, कि जिस शरारत से किसी को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचे वह उचित नहीं है। शरारत में बड़ों के सम्मान का भंग होना या मजाक करना भी अनुचित है। शरारत, बालक के भीतर अत्यधिक शक्ति का प्रमाण है, जो दिशाहीन होने पर असहनीय हो जाती है। क्रियाशील बालक ही प्रायः शरारती होते हैं। इस प्रकार के बालकों को उत्तरदायित्व देकर, सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जाना चाहिये।

पाठ-15 बच्चों में बहाने बनाने की आदत



बहाने बनाने का अभिप्रायः, वास्तविकता के प्रतिकूल कथन बोलना है। बहाना करने की उचित आदत का निर्माण बाल्यावस्था में ही अधिक होता है। यह आदत समायोजन में बाधक है व व्यक्तित्व निर्माण में अवरोधक भी। बालक के व्यवहार का नियंत्रण, मूल प्रवृत्तियों द्वारा होता है। जिस काम को करने से बालक को सुख मिलता है, वे वैसा ही करते हैं।

‘बहाना बनाने’ की आदत की उत्पत्ति के मूल कारण

1. यदि बालक पढ़ाई न करने के कारण, कक्षा में कमजोर चल रहा है तो वह अपनी कमजोरी दूसरों पर प्रतिस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए वह कह सकता है कि अध्यापक अवकाश पर रहते हैं, वे पढ़ाते नहीं हैं आदि।

2. लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आने पर जब वह रचनात्मक कार्य नहीं कर पाता तब वह अपना विजय प्राप्त करने का प्रयास छोड़ देता है और इसके लिए बहाने खोजता है।
3. बच्चों में बहाने बनाने की आदत का प्रादुर्भाव प्रायः अज्ञान तथा मार्ग दर्शन की कमी के कारण होता है या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी ऐसा होता है।
4. उपेक्षा किए जाने पर बच्चे में मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है और वह दायित्व के कार्य से बचने के लिए बहाने खोजने लगता है। सुस्त या आलसी बालक बिना प्रयास के आगे बढ़ता चाहते हैं इसलिये बहाने करने लगते हैं।
5. बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। यदि माता-पिता बहाने की प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो कालान्तर में बच्चा भी इसी प्रकार की आदत अपना सकता है। उदाहरण के लिए यदि माता-पिता को फिल्म देखने जाना है और वे बहाना कर दे कि किसी कार्यवश जा रहे हैं तो शक हो जाने पर बच्चा भी इस प्रवृत्ति को अपनायेगा।
6. घर में कठोर अनुशासन होने या प्रताड़ना के भय से बच्चा सही बात नहीं कह पाता। डांट से बचने के लिए कभी-कभी काल्पनिक बात कहकर बचाव कर लेता है।

बहाना बनाने की आदत सुधारने हेतु उपाय

1. बच्चों में बहाना बनाने की आदत विकसित होने के प्रारम्भ में ही ध्यान न देने पर धीरे-धीरे यह आदत स्थायी हो जाती है क्योंकि आदत उस व्यवहार के समान है, जो जितनी अधिक बार दोहराया जाता है, वह स्वचालित सा हो जाता है।
2. माँ बाप को बच्चे के समक्ष नहीं झगड़ना चाहिये अन्यथा वह आपसे दूर भागने के लिये बहाने खोजने लगेगा।
3. बच्चा देखता है कि पड़ोसी द्वारा कोई चीज मांगने पर मां-बाप न होने का बहाना कर देते हैं तो उसे सान्त्वना मिल जाती है और वह भी ऐसा करता है।

4. बालक घर की अपेक्षा विद्यालय की आकर्षक कल्पना करता है। ऐसा वातावरण न मिलने पर वह स्कूल न जाने के लिये विभिन्न प्रकार के बहाने बनायेगा। यदि आप इस स्थिति में उसे शारीरिक दण्ड देते हैं तो उसमें पलायन की प्रवृत्ति विकसित होगी जो बहाने की ओर उन्मुख करेगी। अतः उसके मन में भय या शंका न उत्पन्न होने दें।
5. मनोरंजन एवं खेल द्वारा बच्चे की पढ़ाई को सरस बनाने का प्रयास करें। यदि उसे सिनेमा देखने का चाव है तो अच्छी फिल्मों का चयन करके उसे फिल्म दिखायें जिससे वह बहाने करके फिल्म देखने की आदत न डालें।
6. उसके विद्यालय कार्य की देखरेख करें जिससे वह स्कूल जाने से जी न चुरा सके।
7. बच्चे की उचित मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिये। असमर्थ होने पर उन्हें समझाकर बता दें किसी भी हालत में बहाने करके पीछा न छुड़ाइये। इस प्रकार बालक के प्रश्नों के उत्तर यथासम्भव अवश्य दें, उत्तर न आने पर बहाना न करें, स्पष्ट बता दें।
8. बच्चे को 'मत करो' का नकारात्मक निर्देशन न दें। बच्चे को भय या प्रलोभन द्वारा गुमराह न करें। बच्चों में अर्न्तद्वन्द की स्थिति न उत्पन्न होने दें।
9. उसमें आज्ञापालन की आदत डालें। उसे आवश्यकतानुसार जेब खर्च भी दें और बचाने की उपयोगिता उसे समझायें।
10. असफलता की कमजोरी को छिपाने के लिये कभी-कभी बच्चा बहाने के रूप में दूसरों पर दोषारोपण भी करता है जैसे परीक्षा में फेल होने पर यह कहना कि मैं रटकर पास नहीं होना चाहता हूँ या मैं किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहता हूँ अथवा परीक्षक खराब था आदि।
11. बच्चे में सावधान रहने वाली प्रवृत्ति पनपने दें। बच्चे को अनावश्यक रूप से दूसरों के यहां भेजकर राहत महसूस करने की चेष्टा न करें क्योंकि वे बाहर के परिवेश से गन्दी आदते सीखते हैं। बच्चे को बहला फुसलाकर उनके स्वस्थ मानसिक विकास में बाधा न डालें उन्हें रुचि के अनुसार कार्य करने दें।
12. वे स्नेह के भूखे होते हैं। प्यार, बच्चे के जीवन की धूप है। उसे प्रेरणा दें और परिवार का उपयोगी घटक मानें। प्रेरणाजन्म व्यवहार कठिनाई के क्षण में बच्चे में साहस का संचार करेगा, एवं उसे कर्तव्य पक्ष से विचलित नहीं करेगा।


13. बच्चे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिये। परीक्षा के भय से उत्पन्न तनाव से उन्हें ग्रस्त न होने दें। उन्हें बताइये कि परीक्षायें पाठ्यक्रम का सामान्य अंश है। पिछड़े बालक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। जटिल बालकों को भी समायोजन में कठिनाई होती है।
14. बच्चे पर विश्वास करें। उसे आत्म प्रकाशन का उचित अवसर दें। उसे प्रोत्साहन दें। उसमें हीन भावना न उत्पन्न होने दें।
15. अभिभावक द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने तथा नकारात्मक भाव के कारण भी बालक बहाने बनाने लगता है। यदि आपके बच्चे में इस प्रकार की आदत है तो आप गहराई से आदत का निरीक्षण करें, परिस्थितियों और कारण का निवारण करें। इस प्रकार आदत की पुनरावृत्ति को रोकें।

संकल्प, इच्छा शक्ति, क्रियाशीलता, अभ्यास, ध्यान, निरन्तरता एवं प्रशिक्षण से आदतों का विकास होता है। यदि आपको बच्चे पर इस आदत के लिये शक है तो प्रकट न कीजिये क्योंकि शक बेबुनियाद होने पर परिणाम खराब हो सकता है। घर एवं विद्यालय का वातावरण अनुकूल एवं प्रेरणादायक होना चाहिये। बच्चे को उपयोगी एवं रचनात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त करें। जिज्ञासा का समाधान करें, उसमें आत्मविश्वास के विकास में सहयोग दें। इन सबसे निश्चित रूप से बच्चे को बहानेबाजी की आदत का यथासम्भव निराकरण हो सकेगा और वे समायोजित हो सकेंगे जिससे बच्चे के स्वस्थ एवं संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

पाठ-16 बच्चों में चोरी की आदत

चोरी की आदत पड़ने के कारण

बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रारम्भ में सामाजिक और नैतिक तरीकों को अपनाता है परन्तु जब उसे सफलता प्राप्त नहीं होती तो, कभी-कभी वह चोरी जैसे अनैतिक ढंग से उस वस्तु की प्राप्ति के लिये सचेष्ट हो सकता है। यदि आरम्भिक अवस्था में इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो पुनरावृत्ति होते रहने से उसमें चोरी की आदत विकसित हो जाती है। संगति के कारण भी इसकी आदत पड़ सकती है।



चोरी की आदत दूर करने के उपाय

1. मां-बाप को बच्चे के साथियों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिये जिससे आवश्यकता होने पर बच्चे को इस प्रकार के बालकों से दूर रखा जा सके।


2. बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। वे अपनी रुचि के अनुसार वस्तुओं के संग्रह की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसमें स्वयं इस प्रकार की भावना का विकास होता है। यह चीज मेरी है, अमुक वस्तु उसकी है आदि बातों का ज्ञान उसे होने लगता है। इस प्रकार बच्चे में स्वत्व अथवा आधिपत्य की भावना विकसित होने लगती है। ऐसा करने में वह नहीं समझता है कि वह कोई अनैतिक कार्य कर रहा है। इस स्थिति में बच्चे को प्रताड़ित करने के बजाय उसे समझाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये।
3. बच्चे के द्वारा चोरी से लायी गयी चीज को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिये। ज्ञात हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को उस वस्तु की वापसी बच्चे द्वारा करा देनी चाहिये और धैर्यपूर्वक समझाते हुए इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिये।
4. अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास अवश्य करें।
5. बच्चे में असुरक्षा की भावना विकसित न हो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि असुरक्षा की भावना से बच्चा चोरी की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि घर का वातावरण स्नेहपूर्ण एवं प्रेरणादायक हो।
6. उचित जेब खर्च न देने पर बच्चा पैसे चुरा सकता है।
7. अच्छा यह होगा कि बच्चे को रचनात्मक एवं उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखा जाए जिससे चोरी जैसी अनैतिक बातों को करने और सोचने का उसके पास समय ही न रहे।
8. बच्चे की स्वभाविक विशेषताओं को परखने का प्रयास माता-पिता को करना चाहिये। बच्चे को नकारात्मक निर्देश जैसे चोरी न करो, मन दें बल्कि उसे ईमानदारी के महत्व वे परिचित करायें, उसे इस प्रकार के गुण से सम्बन्धित कहानियां अथवा जीवन चरित्र सुनायें था पढ़ने को दें। इससे ईमानदारी के गुणों का बच्चे में विकास होगा।
9. माता-पिता को बच्चे के समक्ष झगड़ना नहीं चाहिये क्योंकि इसका बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। प्रायः धेन चुराकर भागने वाले बच्चों के उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं, ऐसे बच्चे कालान्तर में जेबकतरे भी बन सकते हैं।

11. चोरी की आदत संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण के मार्ग में व्यवधान है इसलिये आपको चाहिये कि बच्चे की इच्छाओं का यथासम्भव दमन न करें और न कठोर व्यवहार ही करें अन्यथा बच्चे में यह प्रवृत्ति दृढता धारण का सकती है।
12. चोरी की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के मूल कारण को ज्ञात कर उसके निराकरण का प्रयास करना चाहिये। बच्चे में कुण्ठा न पनपने दें। कुंठा या भावना ग्रन्थियों के कारण बालक का आचरण असामाजिक हो सकता है।
13. चोरी की आदत से अपराधजन्य प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। संवेगात्मक अस्थिरता को दूर करने के लिये बच्चों से प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिये।
14. प्रतिशोध की भावना के वशीभूत होकर भी बालक चोरी कर सकता है बच्चे की मानसिकता भी इस बात के लिये उत्तरदायी है जैसे सुखी और विलासतापूर्ण अथवा वैभवयुक्त जीवन के जीने की चाह। आर्थिक कारण जैसे निर्धनता में जीवनयापन कर रहे बच्चे उचित मागदर्शन के अभाव में इस प्रकार के कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं।
15. बच्चों में जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये। नैतिक प्रशिक्षण एवं समाजीकरण की प्रक्रिया से उनमें उचित मूल्यों का विकास होगा। आरम्भिक अवस्था में रोक के अभाव में आदत के दृढ हो जाने पर विभिन्न समस्याओं बाल-अपराध आदि गंभीर रूप में दृष्टिगत होंगी।
16. बच्चों को सामूहिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिये प्रेरित करना चाहिये इससे उनमें सामूहिकता एवं सामाजिकता का विकास होगा।
राष्ट्र के निर्माण एवं बच्चों के स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण हेतु इस प्रकार की आदत का सक्षम एवं प्रभावी ढंग से निराकरण किया जाना चाहिये जिससे ईमानदारी जैसे गुणों से ओत-प्रोत बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित ढंग से निर्माण हो सके। इससे उनके सफल भावी जीवन की सुदृढ़ आधारशिला निर्मित होगी। बच्चों के ईमानदारीपूर्वक किये गये कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए एवं उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिये। वांछित व्यवहार का पुरस्कृत किया जाना ही, अवांछित व्यवहार को समाप्त कर देता है। बालकों को सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रखकर भी उसे बुरी आदतों से दूर रखा जा सकता है।

पाठ-17 बच्चों में हठ

अपने परिवार या दूसरे के परिवार में हठी बालक के उदाहरण प्रायः देखने को मिलते रहते हैं। प्रताड़ना से हठ की आदत दूर नहीं की जा सकती है। यदि बालक में हठ की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो उसका सहज एवं स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है क्योंकि यह एक अवरोधक है। यह प्रवृत्ति बालक को धीरे-धीरे असामाजिक बना देती है जिससे वह कुसुमायोजित हो जाता है। हमें चाहिये कि हम बच्चों से कठोरता का व्यवहार न करें। धमकी देकर या भय दिखाकर बालक को आज्ञाकारी नहीं बनाया जा सकता है। यदि माता-पिता ऐसा करते हैं और बच्चों में इच्छाशक्ति अधिक है, तो कालान्तर में वह हठी बन जायेगा। विकास की आरम्भिक अवस्था में ही बच्चे की समुचित देखभाल की जानी चाहिये। उसे अच्छे व्यवहार के प्रति प्रेरित करना चाहिये। दिशा-निर्देश के अभाव में बालक का व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है और हो सकता है कि वह हठी बन जाए।

बालहठ दूर करने के उपाय



1. लचीला अनुशासन

परिवार वह प्रथम पाठशाला है जहां बच्चा नागरिकता एवं अच्छे व्यवहार को सीखता है। बच्चे पर अनुशासन लचीला रखना चाहिये। हमें चाहिये कि उन्हें खेलने का पर्याप्त अवसर दें। यथासम्भव डांट-फटकार न करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे के मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह आज्ञापालन से अपने को दूर रखने का प्रयास करता है। धीरे-धीरे उसमें हठ करने की आदत विकसित हो जाती है।

2. रचनात्मक कार्यों में सहभागिता

यदि बच्चे में हठधर्मिता का प्रादुर्भाव हो गया है तो माता-पिता को चाहिये कि उसके अशिष्ट व्यवहार को मान्यता न दें, उसे यथासम्भव रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। ये रचनात्मक कार्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे टिकट संग्रह करना या रंगीन चित्रों का संग्रह करना आदि। समय-समय पर बच्चे को समझाते रहना चाहिये। बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करते रहना चाहिये जिससे वह अच्छे व्यवहार की ओर उन्मुख हो सके। उसे घर से बाहर खेलने का अवसर दिया जाना चाहिये। खेल वैसे भी व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिये आवश्यक है।

3. माता-पिता द्वारा स्वविश्लेषण

यदि आपका बच्चा जिद्दी है तो आपको चाहिये कि स्वयं का विश्लेषण करें और यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि कहीं आप तो उसकी इस आदत के लिये आंशिक रूप से उत्तरदायी तो नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि हम अपने बच्चे से अपने लिये जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं पहले हमें स्वयं उस प्रकार का अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

4. आत्म-सम्मान का ध्यान रखकर

बच्चे का ज्यों ज्यों विकास होता जाता है उसी के अनुसार उनमें अधिकार तथा स्वत्व की भावना भी विकसित होती है, कुछ सीमा तक अहंकारजनित भावना भी उनमें आ सकती है। ऐसी स्थिति में हठ की प्रवृत्ति बालक के व्यक्तित्व में निहित हो सकती है। इस दशा में सावधानीपूर्वक बच्चे की देखभाल की

आवश्यकता होती है। बच्चे अपने विचार नहीं थोपनी चाहिये क्योंकि उनमें भी आत्मसम्मान एवं दृढ़ता की भावना पैदा हो जाती है और वे हठी बन जाते हैं।

5. हठ के मूल कारणों की खोज करके

बालक के जिद्दी बनने में मूल कारण क्या है, इसको पता लगाने की कोशिश करके कारण के निराकरण का प्रयास प्रभावी ढंग से करना चाहिये।

6. सकारात्मक प्रवृत्ति द्वारा

परिवार में माता-पिता का बालक के प्रति यह कर्तव्य है कि वे सकारात्मक प्रवृत्ति अपनायें, नकारात्मक नहीं। अभिभावक के कड़वे बोलतथा उनके द्वारा अनुशासित किये जाने से बालक उन्हें सत्ताधारी के रूप में देखता है तथा अपने प्रति उपेक्षा या नकारात्मक प्रवृत्ति देखकर उसमें हठवादिता पनपने लगती है। किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उस देश के बच्चे ही होते हैं। बच्चों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के अभाव में राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय होता है।

7. सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा

बच्चों को दुतकारिये नहीं, उनके प्रति स्नेह, सहानुभूति, सौहार्द एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार कीजिये, जिससे उनमें विरोध या विद्रोह की भावना उत्पन्न न हो। उनमें विनाशकारी प्रवृत्तियां जन्म न ले सकें। आपका बच्चा आपसे बहस करता है तो उसे फटकारें नहीं, उसकी बातों ध्यान से समय देकर सुने। वह अपनी बात के पक्ष में गलत एवं सही दोनों प्रकार की युक्तियाँ एवं तर्क प्रस्तुत करेगा। उसके द्वारा व्यक्त सही तर्क को आप स्वीकारें। वह गलत तर्क करना बन्द कर देगा, जिससे उसके हठी स्वभाव में कमी आयेगी। वैसे भी बालहठ, त्रियाहठ एवं राजहठ ये तीन प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं।

8. अवहेलना या उपेक्षा न करना

अवहेलना या उपेक्षा से बच्चे जिद्दी हो सकते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। अपने प्रति बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिये वह विभिन्न प्रकार के उत्पात करता है, ऐसे में उसको प्रताड़ित करने से वह स्वभावतः ढीठ

बन जाता है। यदि उसमें आक्रोश की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में विकसित हो जाए तो वह अपराध की ओर उन्मुख हो सकता है।

9. परिवार के सदस्यों द्वारा उचित आदर्श प्रस्तुतीकरण द्वारा

परिवार में अनुशासन न तो अधिक कठोर होना चाहिये और न ही एकदम से लचीला, कि कोई नियंत्रण न रह जाए। उपयुक्त दिशा-निर्देश प्रदान करने से अनुकरणीय आदर्श व्यवहार उपस्थित करने से बच्चे तदनुसार आचरण करेंगे जिससे उनकी हठधर्मिता में कमी आयेगी। बालक के प्रति पक्षपात न बरतें, उसे उपेक्षा या तिरस्कार का शिकार न होने दें। अत्यधिक संरक्षण या आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार दिखाने से भी बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। उन्हें अपने विचारों से सहमत कराने का प्रयास करें।

10. दमनकारी प्रवृत्ति का निषेध करके

उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर अंकुश न रखें और न दमनकारी रवैया ही अपनायें जिससे उनमें विद्रोही भावनायें विकसित न हो सकें। बच्चों से स्नेह, समता और न्याय का व्यवहार न करने से भी उनमें हठवादिता विकसित होने लगती है।

11. हठ द्वारा पहुंचाई क्षति का अहसास कराकर

प्रायः जिद्दी होने के साथ-साथ बालक क्रोधी और झगड़ा लू हो जाता है तथा तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में भी कठोरता का व्यवहार न कर विशिष्ट वस्तु की हानि की पूर्ति में उसके जेब खर्च का कुछ भाग सम्मिलित करें।

12. बालक की रुचि का ध्यान रखकर

बालक की रुचि का ख्याल रखें, घर के वातावरण को बेहतर बनायें साथ ही हठ के कारण को यथासम्भव दूर करें।

इन सुझावों को कार्य रूप में परिणित करने से बालक की हठ करने की आदत समुचित रूप से निराकरण हो सकेगा तथा उसके संतुलित स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख तथा समायोजित प्रकार के व्यक्तित्व के निर्माण में अपेक्षित योगदान भी सम्भव होगा। बालक जिस समय हठ कर रहा हो,

उस समय उसे डांटना या समझाना व्यर्थ होता है। जिस समय बालक का मन प्रसन्न हो, उस समय उसे प्रेमपूर्वक समझाया जा सकता है कि उसके हठ के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हठ करने पर भी, दूसरों के सामने बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिये। ऐसे समय में माता-पिता को अपना धैर्य बनाये रखना होगा।

पाठ-18 बच्चों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग



ड्राइंग रूम में मिसेज सीमा अपनी पड़ोसिन मिसेज रेखा से बात कर रहीं थीं तभी बगल के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आयी। रेखा का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। सीमा बोल पड़ी “क्या बताऊं बहिन, जब से गर्मी की छुट्टियां प्रारम्भ हुई हैं, मैं तो परेशान हो गयी हूं। दिन भर उधम करते रहते हैं, न तो खुद चैन से बैठते हैं और न मुझे चैन लेने देते हैं। तभी सुमित रोता हुआ आया और मम्मी से शालिनी की शिकायत करने लगा। समझाने से उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार शालिनी को डांटने पर ही सुमित शांत हुआ। दोनों के जाने के बाद सीमा कहने लगी “इससे अच्छा तो तभी था जब बच्चे पढ़ने जाते थे।” रेखा को कहना पड़ा “मैं भी आजित हो गयी हूं इन छुट्टियों से, इसीलिये थोड़ी देर के लिये यहां आ गयी थी। चलो देखूं घर पर क्या कारगुजारियां बच्चे कर रहे हैं।” यह समस्या सीमा और रेखा की ही नहीं बल्कि बहुत से अभिभावकों

की है क्योंकि बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करने के अभाव में इस प्रकार की समस्या से परेशानी उठानी पड़ती है।

परीक्षा समाप्त होने पर बच्चों के लिये अध्ययन कार्य गर्मी की छुट्टियों में समाप्त सा हो गया है जिससे वे दिन भर खेलते और लड़ते हैं। इन छुट्टियों के समय का सदुपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1. माता-पिता का सानिध्य

अवकाश के दिनों में मां-बाप को बच्चों के साथ अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक समय देना चाहिये, अन्यथा वे निरर्थक कार्यों में लगे रह सकते हैं बच्चों को समय देने से आप उनकी समस्याओं, रुचि और इच्छाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार का सानिध्य बच्चों को मिलने पर जहां उसे प्रसन्नता होगी वहीं वह निःसंकोच ढंग से अपनी समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग प्राप्त करेगा और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उसके लिये सम्भव होगी।

2. योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्माण करके

बच्चों के अवकाश का उपयोग मधुर ढंग से हो सके इसके लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिये। भ्रमण का कार्यक्रम बनाने से उनके ज्ञान की वृद्धि होगी साथ ही शक्ति और स्फूर्ति की अनुभूति भी उन्हें होगी। यदि बाहर का कार्यक्रम आर्थिक स्थिति के कारण सम्भव न हो तो पिकनिक का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इससे उनमें सामूहिकता की प्रवृत्ति का विकास होगा। समय सारिणी का महत्व तो है ही, यह बच्चों तथा अभिभावकों दोनों के लिये उपयोगी है। क्योंकि एक ओर बालक विभिन्न कार्यों को अलग-अलग समय में करने के प्रति जागरूक होता है और दूसरी ओर अभिभावक भी बच्चे के लिये अधिक या निश्चित समय दे सकने में सक्षम हो सकते हैं।

3. बालकों को व्यस्त रखकर

समय का सबसे अच्छा उपयोग है व्यस्तता। इस दृष्टि से बच्चों को व्यस्त रखना चाहिये। संग्रह की प्रवृत्ति बच्चों में डालें। बाल्यावस्था में ही इस प्रवृत्ति का विकास करना चाहिये। जिन वस्तुओं की उपयोगिता बड़ों के लिये नहीं होती

है, तो हो सकता है कि बच्चे उन्हें संग्रहित करना चाहते हो। अभिभावकों को इस पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये। चित्र संग्रह में पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, साहित्यकारों के चित्र या वैज्ञानिकों के चित्र आदि में से यदि बच्चा किसी प्रकार का संग्रह करता है तो उसे प्रेरित करें साथ उससे सम्बन्धित विवरण लिखने को कहें। इस प्रकार उसमें रचनात्मकता का विकास होगा। संग्रह की अन्य वस्तुयें भी हो सकती हैं, जैसे टिकट संग्रह, माचिस या चूड़ी आदि के टुकड़ों का संग्रह, जिनका उपयोग विविध आकृतियों के बनाने में किया जा सकता है। इन सबसे बालक में भाषा तथा संख्यात्मक योग्यता का विकास होगा, जिससे बालक का बौद्धिक विकास तो होगा ही साथ ही उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी। अवकाश के दिनों में इस प्रकार की प्रवृत्ति के उत्तरोत्तर विकास की ज्यादा सम्भावना की जा सकती है, जो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करेगी।

4. खेलों को प्रोत्साहन देकर

गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेल में खूब व्यस्त रहते हैं। कुछ माता-पिता बच्चों को खेल में व्यस्त देखते हैं तो डाटते हैं। अभी कल ही की तो बात है मिसेज रेणुका का पुत्र अभिनव, निशा के बेटे निशीथ के साथ खेल रहा था। निशा ने आते ही जोर से चिल्लाकर कहा “निशीथ तुम्हें मैं कितनी देर से आवाज दे रही हूं पर तुम सुनते कैसे, तुम तो यहां खेलने में लगे हो चलो तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। आज खूब डांट पड़ेगी। बेचारा निशीथ सहमा हुआ अपनी मां के साथ चला गया।

स्वाभाविक है कि गर्मी की छुट्टियों में अन्य दिनों की तरह पढ़ाई हो नहीं सकती है तो क्यों न हम बच्चों को रचनात्मक और ज्ञानवर्धक खेलों के प्रति प्रेरित करें, जिससे वे आनन्दित हो और लाभान्वित भी। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इससे बालक में अनुकरण, निर्माण और सामाजिकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। गर्मी की छुट्टियों में आप बच्चों को काष्ठोपकरण से मकान निर्माण की बातें सिखा सकते हैं। खेल-खिलौने के माध्यम से बालक में विभिन्न योग्यताओं का विकास होता है। इसके द्वारा बच्चों को विविध विषयक ज्ञान दिया जा सकता है। शारीरिक खेलों से बच्चे चुस्त और दुरुस्त बनते हैं। यदि बच्चा

ब्लॉक बिल्डिंग का खेल खेलता है या खिलौने अथवा मूर्ति बनाता है तो उसे रोकिये नहीं बल्कि बढ़ावा दीजिये। बच्चों के लिये इस प्रकार के खेलों का चयन करें जिससे उनका ज्ञानवर्धन भी हो। स्काउट और गाइड की संस्थायें खेल द्वारा शिक्षा देती हैं। इससे बच्चों में अनुशासन और आत्मसंयम का विकास होता है।

5. चित्रकला का प्रशिक्षण प्रदान करके

गर्मी की छुट्टियों में चित्रकला संबंधी बातों को सिखाना बेहतर होगा। उन्हें आर्ट कापी पर विभिन्न आकृतियों जैसे बाल्टी, प्लेट, कप, गमला और फूल आदि बनाना सिखाया जा सकता है। स्वतंत्रतापूर्वक कला अभ्यास करने देने के बजाय कुशल निर्देशन में सिखाना अधिक उपयोगी होगा। उन्हें पेंसिल, ब्रुश, रंगों एवं चित्रकला की आधारभूत बातों की सम्यक् जानकारी देनी चाहिये। बालक चित्रकारी में रुचि रखता है तो नियंत्रण में उसे उचित दिशा-निर्देश दें। अभ्यास से ही परिपक्वता आती है। पशु-पक्षी, पेड़-पौधों आदि की अभिव्यक्ति में शक्ति होती है। गर्मी की छुट्टियों में यदि विभिन्न संस्थायें कला प्रतियोगिता का आयोजन करें साथ ही प्रदर्शनी का भी तो इसमें भाग लेकर बच्चे इस क्षेत्र में काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसके पास समय रहता है छुट्टियों में इसलिये समय का अच्छा उपयोग भी होगा। कुछ बच्चे आगे चलकर अच्छे कलाकार भी बन सकेंगे, यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है। बच्चे की चित्रकारी की प्रशंसा भी आवश्यकतानुसार करें। कभी-कभी परिचितों को भी इससे अवगत करायें जिससे उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन मिलेगा और योग्यता का विकास भी यथेष्ट रूप से हो सकेगा।

6. पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़कर

ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का बच्चों के लिये एक उपयोग पुस्तकालय में जाकर पत्र पत्रिकाओं का पढ़ना हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि छुट्टियों में बच्चे कॉमिक्स पढ़ना खूब पसन्द करते हैं। अभिभावक इसके लिये डांटते भी हैं। इस संबंध में उन्हें दिशा-निर्देश देकर अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने के लिये प्रेरित किया जा सकता है। इनसाइक्लोपीडिया से बच्चे विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षाप्रद कहानियां बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगी। आयु और रुचि के अनुसार अभिभावक को चाहिये

कि बच्चे के लिये पुस्तकों के चयन में उन्हें मदद करें। चरित्र निर्माण हेतु प्रेरक जीवन चरित्र पढ़ना लाभदायक होगा। यात्रा वर्णन, साइन्स और अविष्कार आदि से संबंधित साहित्य पढ़ने से बच्चे में विविध विषयक जानकारी का विकास होता है साथ ही उन्हें आनन्द भी मिलता है। इस प्रकार उपयुक्त साहित्य का अध्ययन कर बच्चे ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं।

7. लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई आदि सिखाकर

ग्रीष्मकालीन अवकाश दीर्घकालीन होता है इसलिये बच्चों को कुछ हुनर सिखाने का प्रयास करना चाहिये। लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सिखाया जा सकता है। घर के कामों में भी मदद ली जा सकती है जैसे घर के साज सज्जा और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।

8. बच्चों को समयबद्धता की सीख देकर

समयबद्धता से बच्चों में नियमता का विकास होता है। प्यार में जो बात हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कठोरता या भय आदि से नहीं। बच्चे अपने काम जो खुद कर सकते हैं, उन्हें करने दें। हो सकता है कि स्कूल के दिनों में आप उसके लिये यह कार्य कर देते हो, लेकिन यदि वह स्वयं करना चाहे तो उसे मना न करें अन्यथा कालान्तर में बड़े होने पर काम करने की जरूरत आने पर बच्चा काम से जी चुराने लगता है।

9. बच्चों को स्वावलम्बी बनने की शिक्षा देकर

स्वावलम्बी बनने से बच्चे में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बच्चों को कपड़े पर प्रेस करना तथा कपड़ों को अटैची या सन्दूक में रखने की आदत डालनी चाहिये। उन्हें फूल मालायें आदि रंग बिरंगे कागजों से बनाना सिखाईये। इसके लिये आवश्यक सामग्री आप उन्हें उपलब्ध करायें।

10. बालकों को लेखन के प्रति प्रेरित करके

बच्चों को अवकाश के दिनों में लेखन के प्रति प्रेरित करें। उन्हें छोटी-छोटी कहानियां सुनायें तथा उन्हें भी कहानियाँ सुनाने के लिये कहें। लेखन से बालक का शब्द भण्डार समृद्ध होता है। लेखन से बच्चे में भाषा, व्याकरण आदि से

संबंधित जानकारी बढ़ती है। बच्चों को डायरी लिखने के लिये प्रेरित किया जा सकता है। बच्चे में डायरी लिखने की प्रवृत्ति का यदि विकास होता है तो अभिभावकों को भी बच्चे की इच्छाओं या उनके मन की बात जानने में अपेक्षित सहयोग मिलेगा। प्रतिदिन लिखने और सच बातों को लिखने की यदि आदत है तभी बच्चों अनुकरण द्वारा इस आदत का विकास स्वयं में कर सकते हैं। छुट्टियों में प्रारम्भ करने के पश्चात इस अभ्यास को बाद में भी वे नियमित रूप से लिखते रहेंगे जिससे उन्हें जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

11. पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर

लम्बे अवकाश में बालक पढ़ी हुई कई बातें भूलने लगते हैं। इसलिये अच्छा होगा कि आगामी कक्षा की पुस्तकें यदि उपलब्ध हो जायें तो प्रारम्भिक पाठों को वह पढ़ें और यदि उपलब्ध न हो तो उत्तीर्ण कक्षा की पाठ्य पुस्तकों के ही कुछ भागों को वह पढ़ें या जो छूट गया था या जिसे वह भलीभांति नहीं समझ सका है। इसके लिये अधिक तो नहीं पर दो एक घंटे पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने में यथा गणित, अंग्रेजी, हिन्दी आदि प्रमुख विषयों को थोड़ा बहुत अध्ययन सुचारुरूप से जारी रखें।

12. बच्चों को व्यायाम के प्रति प्रोत्साहित करके


बच्चों में प्रातःकाल उठने और टहलने तथा थोड़ा बहुत व्यायाम आदि बातों की आदत डालने से उसके स्वास्थ्य का संवर्द्धन होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों में विविध कार्यों को करवाने, उनसे कहानी सुने और उन्हें सुनाये। कहानी में वर्णित चीजों के चित्र बनाने को कहें या उसे लिखने को कहें। इस प्रकार उसमें कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास होगा। यदि बालक की अभिनय में रुचि है तो उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करें। वास्तव में यदि इन छुट्टियों में शिक्षणोत्तर व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए तो बालक में रचनात्मकता और कलात्मकता का विकास होगा साथ ही अन्य सामाजिक एवं मानवीय गुण भी विकसित होंगे।

अवकाश के दिनों में अभिभावकों को चाहिये कि बच्चों को समय दें। उनकी उत्सुकता तथा समस्याओं का समाधान करें। बच्चों को आउटडोर तथा इनडोर

गेम्स खेलने दें। उन्हें उत्तरदायित्व के कार्य सौंपें। बच्चों को प्रेरित करें कि वे समयबद्धता के साथ ग्रीष्मावकाश का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करें जिससे उनमें अच्छी आदतों का विकास हो व्यर्थ की बातों से वे बचें। अनुशासन लचीला रखें। बच्चे के कार्यों में रुचि लेते हुए दिशा-निर्देश देते रहें। समय की उपयोगिता से उन्हें परिचित करायें। उन्हें नीरसता महसूस न होने दें जिससे वे निरुद्देश्य न घूमें। उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें। उनकी छुट्टियों को लेकर कोई उलझन महसूस न करें बल्कि उनके अवकाश को मधुर बनाने का प्रयास करें। उनसे निकटतम सम्बन्ध बनाये रखें। इन सबसे न केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग होगा बल्कि बालक की विभिन्न शक्तियों और योग्यताओं का विकास रचनात्मक कार्यों द्वारा भी होगा जिससे वे समायोजन, संतुलित व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख हो सकेंगे।

पाठ-19 रैगिंग और छेड़छाड़

रैगिंग के मुख्य कारण



शिक्षालयों में नवीन सत्र के आरम्भ होते ही नये प्रविष्ट छात्रों के साथ सीनियर छात्रों के द्वारा रैगिंग और छेड़छाड़ का जो विकृत स्वरूप देखने को मिलता है उसे देखकर यह सोचने के लिये विवश होना पड़ता है कि आज के युवा छात्र छात्राओं की मानसिकता मूल उद्देश्य से कितनी भटक गयी है। रैगिंग का अभिप्राय हंसी-मजाक और चिढ़ाने तक सीमित है, साथ ही प्रारम्भिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु परस्पर परिचय प्राप्त करके सहयोग देने का दायित्व भी होना चाहिये। वैसे भी नये विद्यालय के नवीन परिवेश में प्रवेश हेतु आये छात्र छात्राओं

को समायोजन में कठिनाई होती है। वे विद्यालय की कई बातों से अपरिचित होते हैं, संकोच के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है, अपने को दबा हुआ सा महसूस करते हैं, ऐसे समय में उन्हें अपेक्षा होती है पुराने छात्रों से सहानुभूति एवं सहायता की, पर इसके बदले उन्हें मिलती है झिड़की और प्रताड़ना। उनसे बेतुके सवाल पूछे जाते हैं, मनोवांछित उत्तर न देने पर उन्हें उसी प्रकार का उत्तर देने के लिये बाध्य किया जाता है, जैसा सीनियर छात्र चाहते हैं। उन्हें अकारण मारा-पीटा भी जाता है। बेतुकी एवं अश्लील हरकतें करने का निर्देश दिये जाने पर यदि वे वैसा करने में देर करते हैं तब उनकी खैर नहीं। कभी-कभी तो शारीरिक और मानसिक यातना इतनी अधिक दी जाती है कि विद्यालय छोड़ने पर उन्हें विवश हो जाना पड़ता है बेचारे आये थे शिक्षा ग्रहण करने और रैगिंग जब सीमा का अतिक्रमण कर गयी तब उनके पास चारा ही क्या रहा घर लौटने के सिवाय। यह सत्य है कि सभी विद्यालयों में नये छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता पर जिन विद्यालयों में रैगिंग की प्रथा है उनमें से अधिकांश, जो भुक्तभोगी हैं, जानते हैं कि इसमें सच्चाई एक बड़ी सीमा तक है।

रैगिंग के परिणाम

कुछ लोग रैगिंग के पक्ष में तर्क देते हैं कि इसके द्वारा नये छात्रों की झिझक दूर होती है उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है तथा नवीन दुष्कर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का विकास होता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर किसी को इसके प्रति शिकायत नहीं। पर क्या इतने मात्र से ही कोई छात्र विद्यालय छोड़ने को विवश होता है? सीनियर छात्र समूह में होते हैं और वे एक एक छात्र को बारी बारी से बुलाकर उससे परिचय प्राप्त करते हैं। कितना ही हृष्ट-पुष्ट और आत्मविश्वास से युक्त नया छात्र हो, तब भी उसे निर्देश पाकर अनेक प्रकार की हरकत करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। मन मसोस कर यंत्रवत वह सब करता है, बर्दाश्त करने की सीमा के असहनीय हो जाने पर भी वह विरोध या आक्रोश व्यक्त नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो उसे यंत्रणा के विभिन्न दौर से होकर गुजरना पड़ता। क्षमा याचना पर भी सीनियर छात्रों का दिल नहीं पसीजता। वे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी इसी दौर से गुजरना पड़ा था और कितनी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी थी। कुछ उदाहरण तो रोंगटे

खड़े कर देने वाले होते हैं। एक महानगर में छात्र को उसके सीनियर साथियों ने हास्टल की छत से नीचे फेंक दिया था जिससे उसका जीवन ही समाप्त हो गया, अपराध उसका इतना था कि उसने विरोध व्यक्त किया था। छात्रायें भी इस मामले में पीछे नहीं। मेडिकल की एक छात्रा के बेड पर सोते समय किसी मृत शरीर का कटा हुआ अंग रख दिया गया था, अंधेरे में स्पर्श करते ही वह इतनी भयक्रान्त हुई कि मानसिक रूप से विकृष्ट हो गयी। नग्न होकर दौड़ लगाना, विभिन्न प्रकार के सैल्यूट करना जिसमें साष्टांग दण्डवत शामिल है, भारी वजन लेकर दौड़ना, यौन विकृतियों द्वारा परिहास करवाना आदि कितने ही स्वरूप देखने को मिले हैं। इस तथाकथित सभ्य समाज में और शिक्षार्थियों में बुद्धिजीवी भी हैं तब एक प्रश्न चिन्ह उभरता है कि आखिर इस सबका आशय क्या है, इससे किन उद्देश्यों की सिद्धि होती है? नवनिर्माण की प्रक्रिया में यह सहायक है या अवरोधक। माता-पिता कितने अरमान संजोकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु भेजते हैं। इन घटनाओं के शिकार नये छात्रों की जो स्थिति होती है, उससे सोचने के लिये व्यक्ति विवश होता है कि आज के संदर्भ में रैगिंग और छेड़छाड़ का जो स्वरूप है उसका औचित्य क्या है।

रैगिंग का सकारात्मक पक्ष

छेड़छाड़ और रैगिंग यदि सीमान्तर्गत हो तो यह उद्देश्यपूर्ण भी हो सकती है। परस्पर आचार-विचार और व्यवहार द्वारा पुराने छात्र, नये छात्रों को अन्तःक्रिया के माध्यम से सहयोग दिया जाना चाहिए नयी परिस्थितियों में भली भांति समायोजित होने के लिये। छेड़-छाड़ नैतिक विकास में भी सहायक हो सकती है। सहानुभूति और प्रोत्साहन से नये छात्रों को परिस्थितियों का सामना करने के लिये यदि प्रेरित किया जाए, तो नये छात्रों के लिये यह हितकर सिद्ध होगी। इससे वे छात्र भी लाभान्वित होंगे जो आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित चिन्ताओं तथा संवेगिक अस्थिरता से ग्रस्त हैं साथ ही जिनकी अभिव्यक्ति में उत्तेजना के लक्षण प्रकट होते हैं। वे छात्र-छात्राएँ, जिनका पालन पोषण संकीर्ण एवं कठोर अनुशासन में हुआ है तथा अपने को दबा दबा सा महसूस करते हैं उनके लिये परिष्कृत रूप में रैगिंग और छेड़छाड़ वरदान भी सिद्ध हो सकती है। सीनियर छात्र-छात्राओं को चाहिये कि वे नवीन छात्र-छात्राओं के सामाजिक, संवेगात्मक एवं मानसिक विकास

की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता देकर रैगिंग और छेड़छाड़ की प्रथा द्वारा उन्हें नवीन मनोरंजक एवं प्रेरणादायक वातावरण में घुलने मिलने के लिये उत्प्रेरित करें। उन्हें दिशा-निर्देश दें, परस्पर प्रेमभाव प्रदर्शित करते हुए आत्मगौरव व आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करने के लिये उत्तरदायित्व के कार्य सौंपें। इस प्रकार इस प्रथा को रचनात्मक स्वरूप में परिणित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

रैगिंग का परिवर्तित स्वरूप

समाजीकरण के विकास हेतु विद्यालय एवं छात्रावास में आने वाले नये छात्र-छात्राओं के साथ पुराने छात्र छात्रायें रैगिंग और छेड़छाड़ का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित करें कि वे नवीन परिवेश के रहन-सहन, बोलचाल और अनुशासन को शीघ्र आत्मसात कर सकें। वे बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें न कि कुण्ठा से ग्रस्त हों। पुराने छात्रों को चाहिये कि वे आदर्श प्रस्तुत करें। नये छात्रों की मनोवृत्तियों और विचारों को सुधारात्मक ढंग से परिवर्तित एवं परिवर्द्धित करने की चेष्टा करें। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि यह प्रथा जारी रहती है तो उनमें समुदाय की भावना का अपेक्षित विकास होगा। आदर्श एवं नैतिकता के मापदण्डों को अपनाने में उन्हें सहयोग दें। इस प्रकार उनमें परस्पर सादात्म्य भाव स्थापित होगा, जिससे वे अन्य साथियों के हित में अपना हित समझेंगे तथा उनके मनोबल में वृद्धि होगी। छेड़छाड़ से मनोमालिन्य को दूर किया जा सकता है, द्वेष एवं ईर्ष्या का अन्त भी संभव है। रैगिंग का स्वरूप इस प्रकार हो कि वे परस्पर सुख-दुःख में एक दूसरे के भागीदार बन सकें। वाह्य दबाव के बिना साथ रहने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जिससे छात्रावास में रहते हुए घर एवं परिवार का वियोग, वे महसूस न कर सकें। नये परिवेश में परिवार जैसा वातावरण पाकर निश्चित ही नये छात्रों में प्रेम व मैत्री का दृढ़ विकास होगा।

रैगिंग कि दूष्परिणाम

यदि रैगिंग और छेड़छाड़ का वर्तमान स्वरूप ही बना रहता है तो क्या आवश्यकता है इस प्रथा को जारी रखने की। निरुद्देश्य छेड़छाड़, गाली गलौज, मारपीट एवं विकृति की परिचायक रैगिंग अपने उदण्ड स्वरूप में घातक बन गई

है। कालान्तर में नये छात्र भी पुराने होकर उन्हीं विकृतियों को दोहराते हैं। आज शैक्षिक जगत में ह्रास और अवरोध की समस्या जो दृष्टिगत हो रही है उसका एक कारण रैगिंग और छेड़छाड़ की मानसिकता भी है। इस प्रथा के दूषित स्वरूप के कारण, नये छात्र तनावग्रस्त रहते हैं। कभी-कभी वे भागकर घर भी कुछ दिनों के लिये चले जाते हैं। मुक्ति पाने पर अन्ततोगत्वा उन्हें उसी दूषित वातावरण में लौटना पड़ता है। वे सहमें सहमें से रहते हैं। ऐसे छात्रों के साथ पुराने छात्र विशेष कठोरता का व्यवहार करते हैं। स्वाभाविक है कि इन हालात में वे मनोयोगपूर्वक अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जिससे उनका परीक्षाफल भी प्रभावित होता है। इस प्रकार धन और समय का जो अपव्यय होता है, निःसन्देह रैगिंग और छेड़छाड़ की दूषित मानसिकता ही इसकी उत्तरदायी है। येनकेन प्रकारेण शिक्षा पूरी कर लेने पर जॉब या व्यवसाय में आने पर भी कुछ व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं कुसमायोजित बने रहते हैं। रैगिंग का परिवर्तित स्वरूप रैगिंग और छेड़छाड़ के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन अपरिहार्य रूप से होना चाहिये जो सुधारात्मक होने के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में सहायक भी हो।

रैगिंग और छेड़छाड़ कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। घर परिवार एवं मित्रों में परस्पर इसका स्वरूप निश्चित ही देखने को मिलता है। मानव जीवन में इसका उदाहरण जब-तब देखने को मिलता है। कुछ कोमल रिश्ते ऐसे होते हैं जहां इसकी प्रचुरता भी दृष्टिगत हो सकती है पर वे शालीनता से युक्त होते हैं, सीमाओं से परे नहीं। उससे संबंधों में मधुरिमा की अभिवृद्धि होती है, अन्तर्गत विकसित होती है, पर उनमें शिक्षालयों में विद्यमान स्वरूप का आतंक नहीं होता। जहां सीमा का अतिक्रमण होने लगता है वहीं संबंधों में दरार पड़ने लगती है फिर सम्बन्धों के टूटने में देर नहीं लगती। इसका स्वरूप शिक्षाप्रद होना चाहिये जिससे कुछ सीखा जा सके, ग्रहण किया जा सके। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त चलती रहती है यही व्यक्ति में जिजीविषा को दृढ बनाती है। अतः रैगिंग और छेड़छाड़ सर्वथा दोषपूर्ण नहीं है। इसकी अपनी उपयोगिता है नये परिवेश में समायोजित होने में, नये व्यक्तियों से मधुर संबंध की स्थापना में तथा उत्तरोत्तर संबंध को दृढ बनाने में। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षालयों में विद्यमान रैगिंग और छेड़छाड़ के स्वरूप का परिष्कार हो। इसका उन्नयन सुधारात्मक रूप में हो, जिससे नये छात्र कुछ ग्रहण करें जो उनके जीवन

के लिये उपयोगी हो। विद्यालय के नये सत्र में नये छात्र इस प्रथा से कुछ सीखें और वरिष्ठ छात्र परस्पर प्रेम और मैत्री के वातावरण का सृजन करें जिससे नवीन आशा का संचार हो। नये छात्रों के कोमल हृदय में रैगिंग और छेड़छाड़ का जो आतंक या भय व्याप्त है उसके निराकरण में पुराने छात्र सहयोग देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें एवं परस्पर परिचय द्वारा और मधुर छेड़छाड़ के माध्यम से अपने आचरण और व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें जिससे नये छात्र उन्मुक्त होकर नयी परम्पराओं को सीख सकें और नवीन परिवेश में उत्तम समायोजन स्थापित कर सकें। यदि रैगिंग और छेड़छाड़ के मधुर एवं परिष्कृत रूप अपनाने के प्रति सभी कृत संकल्प हों तो निःसन्देह वह छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उनके उन्नयन में सहायक सिद्ध होगी।

पाठ-20

बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति

प्रायः माता-पिता की अपेक्षाएँ उच्च स्तर की होती हैं। बालक की अपनी सीमाएँ होती हैं व प्रत्येक बालक उन वांछित स्तरों तक नहीं पहुँच पाता। इस परिस्थिति में वह माता-पिता के समक्ष अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत करने हेतु प्रायः झूठ बोलने के लिये विवश हो जाता है।

झूठ बोलने के कारण

बालकों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक अथवा व्यावसायिक। माता-पिता की अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी बालक को झूठ बोलने पर बाध्य कर देती है। यदि बालक अपने माता-पिता के मापदण्डों पर खरा नहीं उतर पाता तो वह झूठ बोलकर अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न करता है। शैक्षिक या व्यावसायिक असफलता भी प्रायः बालक में झूठ बोलने की प्रवृत्ति को विकसित कर देती है। समाज अथवा परिवार में अपनी प्रतिष्ठा या स्थान ऊँचा दर्शाने हेतु भी बालक झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति होने पर धीरे-धीरे यह एक आदत का रूप ले लेती है। बालक झूठ बोलकर अपने लिये एक मिथ्या संसार का निर्माण कर लेता है, जो उसे कुछ समय के लिये प्रसन्नता प्रदान करती है। माता-पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को झूठ का सहारा लेते देख भी बालक इस व्यवहार का अनुसरण करने लगता है। माता-पिता या शिक्षक द्वारा दण्डित किये जाने के भय से भी बालक झूठ बोलने लगता है। अतः भय एवं असहानुभूतिपूर्ण वातावरण बालक में इस प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायक होता है। विद्यालय अथवा घर में अत्यधिक ऊँचे आदर्शों का पालन न कर पाने की अवस्था में भी बचाव स्वरूप बालक को झूठ बोलना पड़ता है।

1. झूठ बोलने की आदत के निराकरण हेतु उपाय

बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह विभिन्न चीजों के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है। उसके ज्ञानवर्धन में आप उसे सहयोग दें। जानकारी न होने पर जानकारी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर उसे बतायें। बच्चे की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान करें।

2. शारीरिक दण्ड देकर बच्चे में झूठ बोलने की आदत का निराकरण नहीं हो सकता है। झूठ बोलने के कारण को ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिये और उसके निराकरण के प्रति सचेष्ट भी होना चाहिये।
3. कभी-कभी आत्म विश्लेषण भी करें जिससे यदि बच्चे की झूठ बोलने की आदत के लिये परोक्ष रूप से अगर आप उत्तरदायी हैं तो तत्सम्बन्धी बातों को आप दूर कर सकें।
4. बच्चे में कल्पनाशक्ति का विकास होता है। इस शक्ति का विकास यथार्थ की ओर उन्मुख हो तो बेहतर होगा। उसकी बातों में झूठ का अंश न हो, उनमें धैर्य और साहस आदि गुणों के विकास पर ध्यान देना उचित होगा। बच्चे की डींग मारने की प्रवृत्ति को पनपने न दें क्योंकि इससे झूठ बोलने की आदत का विकास हो जायेगा।
5. बच्चों को समझाने में सूझ-बूझ का प्रयोग करें। झूठ बोलने के कारण बच्चे की उपेक्षा न करें अपितु इसके दुष्परिणामों से उन्हें अवगत कराने का प्रयास करें।
6. अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी बच्चों को दें जिससे वह किसी ऐसी वस्तु की मांग नहीं करेगा जो आपकी सामर्थ्य से बाहर हो।
7. काल्पनिक कहानियों के स्थान पर महान पुरुषों की जीवनगाथा उन्हें सुनायें और पढ़ने को दें जिससे उनमें संयम, विवेचन, भ्रम एवं उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास हो।
8. आरम्भिक अवस्था में ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिये क्योंकि बाद में इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।
9. बच्चे के साथियों पर नजर रखिये। झूठी शिकायतों पर ध्यान न दें, उसे दृढ़तापूर्वक समझायें जिससे उसे अपनी गलती का बोध हो बच्चे के व्यवहार के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

10. भय के वातावरण को दूर रखें। उसे अपनी बात कहने का मौका दें जिससे उसमें आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।
11. बालक के झूठ की जानकारी हो जाने पर उसे प्रोत्साहन न दें बल्कि हतोत्साहित करें। अपमानित करना, लांछित करना या डाँटना-डपटना इस समस्या का हल नहीं है। झूठ बोलने पर यातना देने से बच्चे में यह आदत और विकसित होगी। सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। झूठ की आदत बालक के संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में अवरोधक है।
12. झूठी प्रशंसा से बचें। न तो स्वयं झूठी प्रशंसा करें और न बच्चे को करने दें।
13. बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। इसलिये आप स्वयं में झूठ बोलने की प्रवृत्ति को विकसित न होने दें अन्यथा आप ही उत्तरदायी होंगे। बच्चों को प्रेम, सहानुभूति एवं विश्वास के वातावरण में विकसित होने के अवसर प्रदान करके इस आदत से छुटकारा प्राप्त हो सकता है।
14. बच्चे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यदि वे जान जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। घर का वातावरण इस प्रकार निर्मित करें कि परिवार के बड़े लोग भी इस आदर्श के प्रतिरूप हों।

पाठ-21

बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श



निर्देशन का उद्देश्य एक सम्पूर्ण अथवा समग्र व्यक्ति का विकास करना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक को उसकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं, पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्राप्तियों को अनुकूल बनाकर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। यह केवल व्यवसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है अपितु बालक की सम्पूर्ण समस्याओं को आश्रय देता है। अतः अभिभावकों, अध्यापकों प्रधानाध्यपकों, प्राचार्यों एवं निर्देशन अधिकारियों की समझ और पूर्ण सहयोग द्वारा हर अवस्था में, हर स्तर पर उपयुक्त ढंग से निर्देशन दिया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है तथा कार्यानुभव को भी पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, जिससे निर्देशन सेवाओं का कार्य और भी बढ़ गया है। विद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्धियों को ध्यान में रखकर

व्यवसायों को स्थान दे, जिसे सीखकर विद्यार्थी भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर हो सकें।

प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली छात्र तो होते हैं परन्तु उचित निर्देशन के अभाव में वे भी गुमराह हो सकते हैं। अतः क्षमताओं के उचित उपयोग के लिए विशिष्ट निर्देशन होना चाहिये।

निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता

आधुनिक समाज में बालकों को अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कुसमयोजित, कुण्ठा, तनाव जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। बालक का सामना ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियों से होता है जिनका समाधान वह स्वयं नहीं कर सकता। इस स्थिति में उसे निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। निर्देशन व परामर्श द्वारा बालकों की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिक, सामाजिक, संवेगात्मक समस्याओं का समाधान संभव है। उचित निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बालकों को सक्षम बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का दृढ़तापूर्वक हल ढूँढ़ सकें।

शिक्षा का क्षेत्र बालक के समक्ष अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। आज पढ़ने के लिए अनेक प्रकार के विषय उपलब्ध हैं परन्तु साथ ही ये विकल्प बालक को दुविधा की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। वह नहीं समझ पाता कि वह किन विषयों का चुनाव करे। प्रायः माता-पिता की इच्छा उसकी निजी इच्छा से भिन्न होती है। इन परिस्थितियों में निर्देशन व परामर्श उसकी सहायता कर सकता है। वह बालक को उसकी योग्यताओं व क्षमताओं से परिचित कराता है व उसे उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

अपनी रुचि, रुझान व कौशल के आधार पर बालक को उपर्युक्त विषयों के चयन में सहायता प्रदान की जाती है।

व्यवसाय का चयन भी बालक के सामने एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। अनुचित व्यवसाय के चुनाव से उसे जीवन में असफलता का मुख देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि एक अर्न्तमुखी व्यक्तित्व वाला बालक ऐसा व्यवसाय चुन लेता है जहाँ उसे लोगों के सामने खुलकर विचार व्यक्त करने होते हैं तो उस व्यवसाय में पूर्णतः असफल रहेगा। निर्देशन व परामर्श बालक को उसके व्यक्तित्व से परिचित करा कर उसे व्यवसाय चुनने का निर्देशन देते हैं।

शिक्षण संस्थाओं में उत्पन्न होने वाली अनुशासनहीनता की समस्याओं के निदान के लिए भी निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। बालक को दण्डित करने से समस्या हल नहीं होती अपितु विकराल रूप ले सकती है। इस प्रकार के समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति व व्यवहार का अध्ययन परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। वे समस्या के मूल कारणों का पता लगाते हैं। इसके पश्चात् वह बालक को सुझाव के रूप में अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

जीवन व समाज से निराशा प्राप्त होने पर बालकों में नशा करने जैसे व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। परामर्श व निर्देशनकर्ता बालक को उसके दायित्वों का बोध कराते हैं और सामाजिक समायोजन में उसकी सहायता करते हैं। वे बालक के अनुभवों को समझ कर उसे अपनी शक्तियों को पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं।

कभी-कभी मित्र मण्डली के प्रभाव में आकर बालक, झूठ बोलना, चोरी करना जैसे अनैतिक कार्य करने लगता है। नैतिक निर्देशन द्वारा उसे उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है जिससे वह अपने उच्च पारिवारिक मूल्यों को न छोड़े। उसे अपने दार्शनिक व उच्च आदर्शों से पुनः परिचित कराकर उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है व अपनी मित्र मण्डली का उचित चयन करना भी सिखाया जाता है।

बालकों को अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जिसमें निर्देशन एवं परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन की जानकारी, प्रदूषण से होने वाले रोगों से बचाव, छूत की बिमारियों से बचाव, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, इन सभी के विषय में परामर्श व निर्देशन कार्यकर्ता बालक को अवगत कराते हैं।

व्यक्तिगत साफ-सफाई व इसके अभाव से होने वाली हानियों के विषय में भी निर्देशन व परामर्शदाताओं द्वारा जानकारी दी जाती है।

निर्देशन व परामर्श में विद्यालय की भूमिका

बालकों की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकने के लिए भी निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। विद्यालय के वातावरण से समायोजन के अभाव में अनेक बालक, विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। यहाँ

परामर्शदाता द्वारा उसकी समस्याओं का पता लगाया जाता है व उनके निवारण का प्रयास किया जाता है। प्रायः बच्चों का कक्षा में फेल हो जाना भी एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं; जैसे - शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक। उचित कारण का पता लगाकर बालक को निर्देशन व परामर्श दिया जा सकता है।

अतः प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन होना चाहिये एवं छात्रों के संगठित अभिलेख पत्र ;बनउनसंजपअम त्मवतकेद्धोने चाहिये।

प्रत्येक विद्यालय में कुछ छात्र इस प्रकार के होते हैं जिनकी क्षमतायें अच्छी होती है किन्तु उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ इनती दुर्बल होती हैं कि वे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते। इस प्रकार के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन व्यवसायिक प्रबंध करवाया जाना चाहिये। इससे एक ओर उन्हें अर्थ लाभ होगा तथा भविष्य में वे जीविकोपार्जन हेतु अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझते हुए उसमें वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे।

विद्यालय में प्रतिमाह कम से कम एक व्यवसाय के विषय में जानकारी दी जाए। यह व्यवसायिक वार्ता के आयोजन द्वारा संभव है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी को शिक्षित करना है। सभी के शिक्षित हो जाने पर व्यवसाय या रोजगार के अभाव में छात्रों में कुण्ठा या निराशा पनपेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा रोजगारपरक या व्यवसायोन्मुख हो इसके लिए कक्षा आठ से ही रोजगारपरक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिये। रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने हेतु व्यवसायिक वार्ता के समय सम्पूर्ण विद्यालय के छात्र, अध्यापक तथा प्रधानाचार्य का रहना आवश्यक है। वार्ता विशेषज्ञ को उस विभाग का अनुभवी होना चाहिये तथा उसी व्यवसाय में संलग्न होना चाहिये जिसके विषय में वह बताना चाहता है।

विद्यालय में निर्देशन सेवा समिति

विद्यालय में निर्देशन सेवा समिति संगठित होनी चाहिये जो व्यवसाय के सम्बन्ध में बच्चों एवं अभिभावकों को सम्यक जानकारी प्रदान कर सके। लघु गोष्ठियों एवं अधिवेशन के समय-समय पर आयोजन होते रहने से निर्देशन सेवा को प्रभावी पैम्पपलैट्स, पुस्तकालय, संचित अभिलेख, पत्र व्यवहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता रहनी चाहिये।

व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और अभिरूचियों के परिप्रेक्ष्य में यदि व्यवसाय में किसी को नियोजित करने में सफलता प्राप्त हो भी जाए तब भी देखभाल आवश्यक होती है। अनुवर्ती अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हुआ या असफल।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को उनकी आयु एवं क्षमताओं के अनुरूप जिन व्यवसायों के सम्बन्ध में जानकारी दी जा सकती है। उसमें कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कम समय में प्रशिक्षित कर बच्चों को दक्ष किया जा सकता है। कुछ ऐसे व्यवसाय भी हैं जिनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बच्चों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक परिवेश, आकांक्षा, अभिरूचि एवं बौद्धिक स्तर का निर्धारण कर इस दिशा में प्रभावी प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापक या विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने में सहयोग लिया जा सकता है।

उपसंहार

बालक, माता-पिता की एक अमूल्य धरोहर व पूँजी है। इस कारण, इनकी देख-रेख व पालन - पोषण सावधानी व प्रेमपूर्वक किया जाना चाहिये। जिस प्रकार पौधे को पनपने के लिए धूप व निर्मल जल दोनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालकों को भी विकसित होने के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन एवं स्नेह दोनों की आवश्यकता है। अभिभावकों एवं माता-पिता को अपने बच्चे की प्रतिभा व योग्यता को पहचानना होगा एवं उसी आधार पर उसे जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करना होगा। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सदा ध्यान में रखना उचित होगा। अनेक बुराइयों के साथ, यदि बालक में एक भी अच्छी आदत है तो माता-पिता को सभी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना होगा। महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रपिता द्वारा भी बचपन में एक बार पिता की जेब से पैसे निकलाने का अपराध हो गया था। परन्तु माता-पिता द्वारा उचित मार्गदर्शन के कारण वे एक महान व्यक्ति बन सके। बालक से मित्र के समान व्यवहार करके, उसकी समस्याओं की जानकारी सदैव माता-पिता को रखनी चाहिये। माता-पिता

को बालक से इतनी दूरी कभी नहीं बनानी चाहिये कि बालक अपनी समस्या उन्हें बताने में भय का अनुभव करे। यदि माता-पिता अपने बच्चे पर पूर्ण विश्वास रखे तो बहुत कम अवसरों पर ही वह इस विश्वास को तोड़ेगा। बालकों के उचित पालन-पोषण के लिए अभिभावकों का अनुभवी होना आवश्यक है परन्तु सचेत रहकर, आज के युवा भी माता-पिता के रूप में उत्तम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें

1. अन्नी, विनोद कुमार. (2004). भारतीय शिक्षण का परिदृश्य. नई दिल्ली: सुमित एन्टरप्राइजेज.
2. अस्थाना एवं अग्रवाल. (2004). मनोविज्ञान और शिक्षा, द्वितीय संस्करण. आगरा: विनोद प्रकाशन.
3. बसु, दुर्गादास. (2006). भारत का संविधान- एक परिचय. आठवां संस्करण. नागपुर: वाधवा.
4. भार्गव, महेश. (2007). शैक्षिक सरोवर. नवीनत संस्करण. आगरा: राखी प्रकाशन.
5. भटनागर, ए० बी०, भटनागर, डॉ० मीनाक्षी एवं भटनागर, डॉ० अनुराग. (2011). शैक्षिक एवं मानसिक मापन. पूर्णतः संशोधित संस्करण. मेरठ: आर० लाल बुक डिपो.
6. भटनागर, ए० बी० एवं भटनागर, डॉ० मीनाक्षी. (2007). शिक्षा अनुसंधान. द्वितीय संस्करण. मेरठ: लायल बुक डिपो.
7. चौहान, एस० एस०. (2002). शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार. द्वितीय संस्करण. नोयडा: नोएडा विकास पब्लिशिंग हाउस
8. फड़िया बी०एल०. (2004). भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक चिन्तन. आगरा: साहित्य भवन पब्लि०
9. गैरिट, एच० ई०. (1995). सांख्यिकी के मूल तत्व. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.

10. गौड़, डी0एन0 एवं शर्मा, आर0 पी0. (2004). शैक्षिक एवं माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था. प्रथम संस्करण. आगरा: राम प्रसाद एण्ड सन्स.
11. गुप्ता, डॉ0 एस0 पी0. (2009). सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा : एक विमर्श. प्रथम संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
12. गुप्ता, एस0 पी0 .(2009). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें. पूर्णतया संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
13. गुप्ता, एस0 पी0. (2008). भारतीय शिक्षा का ताना-बाना. प्रथम संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
14. गुप्ता, एस0 पी0. (2007). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान. तृतीय संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
15. गुप्ता, एस0 पी0. (2005). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन. संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
16. गुप्ता, एस0 पी0. (2005). सांख्यिकीय विधियाँ. संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
17. कल्ला, डॉ0 पी0 एन0 एवं गक्कड, डॉ अर्चना. (2005). प्रसार शिक्षा के नये आयाम. राजस्थान: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकाडेमी, जयपुर.
18. कुलश्रेष्ठ, डॉ0 एस0 पी0. (2008). शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, पूर्णतया संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन.
19. कुमार, आनन्द एवं गुप्ता, श्रीमती एम0 डी0. (1995). सामाजिक शोध विधियाँ एवं सांख्यिकी. आगरा : विमल प्रकाशन मन्दिर.
20. कपिल, एच0के0.;2009. सांख्यिकी के मूल तत्व, नवीनतम संस्करण. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.
21. कपिल, एच0के0.(2009). अनुसंधान विधियाँ. चौदहवाँ संस्करण. आगरा: एच0 पी0 भार्गव बुक हाउस,
22. कश्यप, सुभाष. (2006). हमारा संविधान. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट
23. लाल, रमन बिहारी .(2005). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त. पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्द्धित सोलहवा संस्करण. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स.

24. लाल, रमन बिहारी एवं जोशी, डॉ0 सुरेश चन्द्र. (2005). शैक्षिक मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी. द्वितीय संशोधित संस्करण. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स.
25. मालवीय, राजीव. (2009). शिक्षा के नूतन आयाम. द्वितीय संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
26. मंगल, एस0 के0. (2002). शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान. द्वितीय संस्करण. लुधियाना : टण्डन पब्लिकेशन्स
27. मंगल, एस0 के0 एवं मंगल, श्रीमती शुभ्रा. (2008). विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, नवीनतम संस्करण. मेरठ: लायल बुक डिपो
28. मिश्र समीरात्मज. (2000). 'निबन्ध मंजूषा'. नई दिल्ली: टाटा मैक ग्रा0 हिल0 पब्लि0
29. मिश्र, आत्मानन्द, गौतम, कालीचरण एवं कुमार, राकेश. (1998). शिक्षा कोश. नई दिल्ली: यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन्स.
30. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ .(1972). सामाजिक सर्वेक्षण व शोध. द्वितीय संस्करण. दिल्ली: सरस्वती सदन,
31. एन0 सी0 एफ0 (2005). एन0 सी0 आर0 टी0: नई दिल्ली.
32. पाण्डेय, के0पी0. (2006). शैक्षिक अनुसंधान, तृतीय संस्करण. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन
33. पाण्डेय, आर0एस0. (2001). भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयाम. प्रथम संस्करण, आगरा: विनोद पुस्तक भण्डार
34. पाण्डेय, रामशक्ल एवं मिश्र, करुणाशंकर. (1998). भारतीय शिक्षा की समसामयिकी समस्यायें. आगरा: विनोद पुस्तक भण्डार
35. पाठक, राममूर्ति. (2004). सामाजिक-राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा. प्रथम संस्करण, इलाहाबाद: अभिमन्यु प्रकाशन
36. राय, पारसनाथ. (1997-98). अनुसंधान परिचय. सप्तम संस्करण, आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल अस्पताल मार्ग
37. सिंह, अरूण कुमार एवं सिंह, आशीष कुमार .(2000). आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, द्वितीय संस्करण. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसी दास

38. सिंह, अरूण कुमार -(2000). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, पटना : मोती लाल बनारसीदास
39. सिंह, डॉ० नरेन्द्र कुमार. (2008). शैक्षिक एवं मानसिक मापन, नवीनतम संस्करण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन
40. सिंह, मनोज कुमार. (2005). शिक्षा और समाज. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली: अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस
41. सिंह, रघुराज व यादव, रामबली. (2007). वैश्वीकरण एवं उच्च शिक्षा की सम्भावनाएं. नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन
42. सुलैमान, डॉ० मुहम्मद. (2007). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान. द्वितीय संशोधित संस्करण. पटना : मोती लाल बनारसीदास
43. सुलैमान, डॉ० मुहम्मद. (2005-06). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. तृतीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण. पटना: जेनरल बुक एजेन्सी.
44. सारस्वत, मालती. (2008). भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं . लखनऊ : आलोक प्रकाशन
45. शर्मा, डॉ० ए० एन०. (2002). सामाजिक-सांस्कृतिक मानव विज्ञान आधारभूत अवधारणायें एवं सिद्धान्त. इलाहाबाद: अभिव्यक्ति प्रकाशन
46. श्रीवास्तव, ए० आर० एन. (2001-2002). भारतीय सामाजिक समस्याएँ, प्रथम संस्करण. इलाहाबाद : के० के० पब्लिकेशन्स
47. श्रीवास्तव, डी० एन. (2006). अनुसंधान विधियाँ. नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण. आगरा: साहित्य प्रकाशन
48. श्रीवास्तव, राम जी एवं अन्य. (1999). मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मापन. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली: मोती लाल बनारसी दास
49. त्रिपाठी, मधुसूदन (.2008). “भारत में मानवाधिकार”. नवीनतम संस्करण, नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन
50. त्रिपाठी रेणु एवं अर्पणा. (2006). “भारत में प्राथमिक शिक्षा”, प्रथम संस्करण., नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन
51. त्रिवेदी, आर० एन० एवं शुक्ला, डी० पी. (2006). रिसर्च मैथडोलॉजी. जयपुर :कॉलेज बुक डिपो

52. त्यागी, डॉ० बी० डी० एवं अरूण, डॉ० एस० के. (2010). प्रसार शिक्षा एवं सामुदायिक विकास. मेरठ : रामा पब्लिशिंग हाउस,
53. उपाध्याय, प्रतिभा. (2009). भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ, पांचवां संशोधित संस्करण, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन
54. वालिया, डॉ० जे० एस. (2005). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, पंजाब :अहम् पाल पब्लिशर्ज,

जर्नल एवं पत्र पत्रिकाएं

55. भारत सेवक समाज रिपोर्ट (1958).
56. बुच, एम. वी. (1987). तृतीय सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. नई दिल्ली: एन. सी. ई. आर. टी.,
57. बुच, एम. वी. (1991). चतुर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. नई दिल्ली :एन. सी. ई. आर. टी
58. गोरा, एम०एस. (1996).“शिक्षा के समाजशास्त्र का अध्ययन”. नई दिल्ली : एनसीईआरटी,
59. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा .(2005). प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली.
60. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
61. श्रीवास्तव, डॉ० रश्मि. .(2009). आधुनिक सामाजिक परिवेश में अध्यापन, शिक्षामित्र, वर्ष 1 अंक 4 त्रैमासिक पत्रिका, जून 2009, शिक्षामित्र, आगरा।
62. प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट (2002). प्राब्लेम आफ स्लम इन दिल्ली,गर्वन्मेन्ट आफ इन्डिया
63. शहर देहात नियोजन संगठन रिपोर्ट, रिट्राइड आन 05/07/2012 फ्राम <http://tcpomud.gov.in/>
64. सागर,डी०पी० एव पान्डेय, एस०एम० (2006).स्टूडेन्ट एम्पाइरेशन, 8 वनडीसन डैट मेक अ डिफरेन्स. ओरनो: नेशनल सेन्टर फार स्टूडेन्ट एम्पाइरेशन, सीस, <http://psycnet.apa.org/journals/bul/38/4/218/>

65. शाह,एच0आर0 एवं सचरावत,एस0एस0(2002).द स्टडी आफ सेल्फ कन्सेप्ट एन्ड लेबल आफ एस्पाइरेशन एमांग फिजीकली चैलेन्ड स्टूडेन्ट, इनसाइट जर्नल आफ एप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन, Vol. 9,
66. यूनेस्को सेमिनार रिपोर्ट (1996)एएफोडेबल स्पेसेज फार एजुकेशन फार आल, रिट्राइड आन 07/09/2011 फ्राम <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001092/109286eo.pdf>
67. यू0एन0ओ0रिपोर्ट(2011).दी चैलेन्ज आफ स्लम,ग्लोबल रिपोर्ट आफ ह्यूमन सेटेलमेन्ट 2010, लंदन :यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटेलमेन्ट प्रोग्राम,
68. Adler, N.E. (1999). *Socioeconomic status and health*. Annual of newyork academy of science
69. Aggrawal,P.Y and Chug,S.(2003). *Learning achievement of slumchildren in delhi. Occational paper* .New delhi : National institute of educational planning and administration
70. Amis, P.(2001). *Re thinking U.K ed in urban india reflection of an impact assessment study of slums improvement project*. Enviornment and urbnsation. Neweyork: John billy & sons
71. Annual report2010-2011 Ministry of housing and poverty retrived on 15/11/2011from mhupa.gov.in/pdf/annual.../Annual_Reprot_English_2010-11.pdf
72. Atkinson,j.w(1957). *Motivatiione Determinant of Risk Taking behaviours* psychological review on 24/01/2011 from . www.principlesoflearning.wordpress.com/.../achievement-motivation-atkin
73. Benrji,R. & Bhargav,P.(2003). *The threshold of intergenerational transfer of poverty*. Paper for international conference on spaying poor chronic poverty and development policy. . retrived on 27/05/2012 from <http://www.chronicpoverty.org/pdfs/2003conferencepapers/bhargava.pdf>

74. Benerji,M. (1975). *Kolkata and its hinterland*. Kolkata: Progressive publishers.
75. Biod, Jorg. Feliks (1952). 'The level of aspiration of white and nigro children in a segrated elementary school', *The Journal of Social Psychology*. Vol 36,
76. Clenard,Marshall.(1963).*Slum and community development experimental in self health*. New York: Macmillan limited
77. Concept of security insecurity retrived on 09/08/2011 from www.jstor.org/stable/2772598
78. Consumerwatchdog, Newyork report.(2011). retrived on 20/02/2012 from <http://www.consumerwatchdog.org/resources/cwrateregulation.pdf>
79. Dembo,T.(1931). *Field theories as human science*. Newyork: Gardener press
80. Desai,A.R.and Venkatrappa,K.N.(2003). *Risk and responce among the urban poor in india* .journal of international development
81. Dickinson, Z.(2010). *In during poverty and condition of childhood life course and intergenerational poverty transmission*, World development report (31)3
82. Dunn,J.(1988). *Sibling influences on childhood development* , *journal of child psychology*29(2)
83. Dyer,C & Rose,P.(2006).*Chronic poverty and education* . A review of literature. Revised draft Manchester chronic poverty research centre.
84. Edwards, Allen L. (1971). *Experimental Design in Psychological Research*, New York : Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd.
85. Fernando,B. (2009),*In the heart of Bombay: The dharavi slum*. retrived on 23/05/2012 from http://base.dph.info/fr/fiches/dph/fiche_dph_7867.html.

86. Festinger, L. (1989). *A theoretical interpretation of shift in the level of aspiration. Extending psychological frontier*. New York: russel seg foundation.
87. Frank, J. D. (1941). *Recent studies of the level of aspiration. psychological bulletin vol (38)4* retrieved on 29/04/2011 from <http://psycnet.apa.org/journals/bul/38/4/218/>
88. Gaud, A. & Mthur, D. K. (1985). *A comparative study of adjustment problem, level of aspiration, self concept and academic achievement of crippled children and national children sited in 4th survey of research in education*. New Delhi: NCERT p16.
89. Hatfield, G. (1994). *Social origin of mental ability*. New York: John Wiley & Sons
90. Hillgard, E. R. (1948). *Theories of learning*. New York: Apleton century craft
91. Homer, H. (2010). *The remaking of a slum: The world is watching dharavi*. Retrieved on 22/06/2012 <http://beyondprofit.com/the-remaking-of-a-slum-the-world-is-watching-dharavi/>
92. Hopp, Lindey. (1930). *As sited in. psychological bulletin* retrieved on 12/05/2012 from <http://www.aspirationsdance.com/>
93. Housing act of America (1973) retrieved on 30/05/2012 from http://en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation_Act_of_1973. p36
94. I. C. M. R Bulletin. (2011). *Tribal health research in Orissa*. Retrieved on 10/11/2011 <http://www.icmr.nic.in/bulletin.html>.
95. Ishans, S. H. (1935). *Individual defence in certain aspect of the level of aspiration. American Journal of Psychology*
96. John, W. Best (1998). *Research in Education*. Retrieved on 24/06/2012 from <http://ww2.odu.edu/~jritz/attachments/reined.pdf>
97. Jorberg, O. and Ambrass, H. (1952). *Urban slum report. a case of Karachi Pakistan. understanding slum: Case study for the global*

- report on human settlement*. Retrieved on 11/04/2011 http://www.ucl.ac.uk/dpu/projects/Global_Report/pdfs/Karachi.pdf. p28
98. Kar, Kamal. (2007). *Participatory impact assessment Kolkata slums improvement project*. C.M.D.A, D.F.I.D. New Delhi
99. Kerlinger, F. N. (1973). *A foundation of behavioural research*. New Delhi: Sujit Publication
100. Kurt, Levin. (1930). *Philosophy of mind*. New Delhi: T.M.H
101. Lucknow population 2011 census retrieved on 05/01/2012 from www.census2011.co.in > Uttar Pradesh > District List
102. Majoomdar, K. (1975). *Kolkata metropolitan explosion. its nature and routes*. New Delhi: People Publishing House Peoples
103. Marks, Karl. (1871). *Social stratification is characteristics of society*. Retrieved on 24/09/2011 <http://home.earthlink.net/~clevy/SocialStratificationChapter8.pdf>
104. Maslow, H. (1987). *Motivation and personality*. Retrieved on 29/07/2012 from <http://www.amazon.com> > ... > Psychology & Counseling
105. Murfi. (2010). *Are urban poverty undernutrition going some newly assembled evidence*. World Development Report
106. Oxford dictionary. (2010). *Definition of slum*. Retrieved on 20/07/2011 <http://oxforddictionaries.com/definition/english/slum>
107. Parsons, T. (1953). *A revised analytical approach to the theory social stratification in class, status and power: A reader In social stratification*. R Benedict and S. Lipset. Glencoe Free Press
108. Ragnar Nurkse's balanced growth theory—retrieved on 25/10/2011 from www.en.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Nurkse's_balanced_growth_theory
109. Singh, M and Rao, S. (2006). *Can a slum become a world class township*. Retrieved on 10/04/2011 from <http://www.thehindu.com/2006/10/06/stories/2006100602341200.htm>.

110. Sindhi, J.C. (2009). As race and response-ness of level of aspiration to success and failure. Psychological bulletin
111. Smith, H.K. (1979). *Study of self concept and level of aspiration of handicapped children. Educational research – an introduction.* New York: Nogman company
112. Soroken, P. (1927). *Social and cultural mobility.* New York: free press
113. Terrel, K. (1975). *The educational aspiration of black males in urban, sub urban and rural high school.* retrived on 29/07/2011 from <http://www.TL Strayhorn - Urban Education, 2009 uex.sagepub.com>
114. Thakur, dhandve. (2009). *Why has cities slum rehab plan flopped.* Retrived on 11/04/2011 from <http://www.sra.gov.in/htmlpages/RehabPlan.htm>.
115. Travers, Robert M.W. (1961). *An Introduction to Educational Research,* New York: The MacMillan Company
116. Vergees, E.W. (1916). No business like slum? The political economy off the continued existence of slum, a case study of narobi. Working paper .London: London school of economic and political sciences
117. Weber, max. (1927). Weber theory of social class retrived on 24/09/2011 from www.brooklyn.org/courses/43.1/weber.html
118. Wilkis, reema. (2006). Does socioeconomic status matter? Race, class and residential segregation. social problem
119. अहमद, एच0 (2012). 102 स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समायोजन के सन्दर्भ में उनके सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (सी0सी0ई0) के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, उत्तर प्रदेश
120. अल्फ्रेड, एम0 (2007). लीड्स विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण का उनके अकेलापन, भग्नाशा स्तर व आक्रमकता के

- सन्दर्भ में अध्ययन, डॉक्टरल डिजरेटेशन, लीड्स विश्वविद्यालय, लन्दन, यू0के0
121. अल्तेकर, वाई0 (2002). प्राइमरी स्कूलों में भाषा व गणित आदि विषयों के शिक्षण में रन्त व परमरागत अध्ययन-अध्यापन विधियों के प्रभाव का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, इटानगर, अरुणांचल प्रदेश
122. आसिफ, एम0 (2007). अलीगढ विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण का उनके अकेलापन, भग्नाशा स्तर व आक्रमकता के सन्दर्भ में अध्ययन, अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, उत्तर प्रदेश.
123. बालाकृष्ण (2007), बिहार के संधाल परगना के इसाई तथा गैर-इसाई अनुसूचित जाति के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
124. बरवानी, रूपा (2001). आत्मसंप्रत्यय, मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
125. भाष्कर, आर0 डी0 (2010). पटना मण्डल के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक सुरक्षा स्तर का उनके लिंग, वर्ग व आकांक्षा स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
126. चार्ल्स, डी0 (2012) माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण का उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं मानसिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरेटेशन, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया, यू0एस0ए0, पृष्ठ संख्या 59. रिट्राइड आन 10/04/2011 फ्राम www-tep.ucsd.edu/graduate/dissertations-tl.shtml
127. चाँद, एम0 (2004). नागालैण्ड के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा का उनके जनजातीय समूहों तथा

- विज्ञान एवं गणित की शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, कोहिमा विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैण्ड
128. चतुर्वेदी, टी0 पी0 (2010). चित्रकूटधाम मण्डल के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक सुरक्षा स्तर का उनकी लिंग व सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश
129. डिसूजा, जे0 (2007). परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण का उनके समायोजन स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन : मुम्बई विश्वविद्यालय के विशेष सन्दर्भ में, पी-एच0डी0 थीसिस, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
130. गोंगुली,पी0 (2009). विभिन्न सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों वाले छात्र / छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का उनके शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, प0 बंगाल.
131. गौड़,आर0 (2006) उन्नाव की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले बालकों-बालिकाओं के शैक्षिक विकास का उनके सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
132. हरटप, सी. (2006). विभिन्न सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों वाले छात्र / छात्राओं की मानसिक सुरक्षा का उनके समकक्ष साथियों के साथ सम्बन्धों के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरटेशन, भौवरिया विश्वविद्यालय, जर्मनी, पृष्ठ संख्या 67. रिट्राइब्ड आन 12/04/2011 फ्राम www.digitalcommons.liberty.edu > School of Education > EDD
133. वर्मा,ज्योति (2010). इलाहाबाद के स्लम ऐरियाज में निवास करने वाले बालकों-बालिकाओं के शैक्षिक विकास का उनके माता-पिता के शैक्षिक स्तर व उनकी वार्षिक आय के सन्दर्भ में अध्ययन अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
134. जैन,एल0 एवं शाह,के0 (2000). राजस्थान के जयपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
135. जायसवाल, अर्चना (2001). उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के आत्मसंप्रत्यय, सामाजिक, आर्थिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि तथा मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
136. खरे, एम 0आर0 (2002). उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
137. खोब्रागडे (2010). उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा तथा रुचि का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात
138. लिज, हर्ले (2010). सीनियर सेकन्डरी स्तर के अध्यापकों की शान्ति शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का उनकी जीवन संतुष्टि एवं शिक्षण अनुभव के सन्दर्भ में उनके अध्ययन. डॉक्टरल डिजरटेशन, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, कोलम्बिया, यू0एस0ए0, पृष्ठ संख्या 111. रिट्राइब्ड आन 14/04/2011 फ्राम www.ed.gov/programs/iegpsddrap/index.html
139. मल्होत्रा, अनूप (2002). माध्यमिक स्तर के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके आकांक्षा स्तर एवं सामाजिक, आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
140. मीणा, अनिल (2000). उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत् आदिवासी विद्यार्थियों की व्यावसायिक आकांक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0

- थीसिस, शिक्षा संकाय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
141. मीरजान,एस0 (2004). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध वि०वि०विद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
142. मिश्र,बी0 (2011). अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुकूलन, उपलब्धि एवं सामाजिक आकांक्षा का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, डॉ0 हरि सिंह गौर वि०वि०विद्यालय, सागर मध्य प्रदेश
143. मिश्र,टी0 (2004). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर का सामाजिक-आर्थिक दशा एवं उपलब्धि के सम्बन्ध में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरेटेशन, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन, यू0के0, पृष्ठ संख्या 70 . रिट्राइड आन 16/04/2011 फ्राम www.loc.gov > Researchers
144. मूरजानी, एस0 (2007). पटना जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा का उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
145. नागराजू, एस0 (2002). कर्नाटक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आकांक्षा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक
146. पाण्डेय, धीरज (2011). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के शोधार्थियों के मानसिक सुरक्षा स्तर का उनके उम्र, लिंग व उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. परमिता, अंक 1, जनवरी 2011, वाराणसी
147. पाण्डेय, धीरज (2011). वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा अभिप्रेरणा प्रारूप की आकांक्षा स्तर व उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन. बी0 एच0 यू0 , वाराणसी

148. पाण्डेय,धीरज, पाठक,नरेन्द्र कुमार एवं सिंह,जितेन्द्र (2013). माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत लखनऊ महानगर की मलिन बस्तियों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में अध्ययन. शोध प्रेरक, एकेडमिक स्टाफ कालेज, बी0 एच0 यू0 , वाराणसी, अंक 3 जनवरी, 2013, पृष्ठ संख्या 69-74.
149. पाण्डेय, स्मृति (2010). कानपुर नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक सुरक्षा स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि व सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
150. पटेल, ब्रजेश (2008). सामाजिक रूप से वंचित तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा का उनके संज्ञानात्मक तथा व्यक्तित्व विभेदकों, लिंग एवं क्षेत्रीयता के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा
151. पोलेन, डी0 (2009). आकलैण्ड के विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक सुरक्षा का उनके शैक्षिक स्तर व उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरेटेशन, विक्टोरिया विश्वविद्यालय, न्यूजीलैण्ड, पृष्ठ संख्या 80.रिट्राइड आन 18/04/2011 फ्राम www-tep.ucsd.edu/graduate/dissertations-tl.shtml
152. प्रकाश, वेद (2008). उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का उनके निवास, लिंग, जाति तथा लोकस ऑफ कन्ट्रोल के परिपेक्ष्य में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस,दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
153. प्रसाद, एम (2009). विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक सुरक्षा स्तर का उनके विभिन्न संकायों के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा

154. राबर्ट, जे0. (2007). 106 ग्रेड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मानसिक सुरक्षा का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरटेशन, विक्टोरिया विश्वविद्यालय, न्यूजीलैण्ड
155. रावत, ए0 (2003) स्लम ऐरियाज में निवास करने वाले बालकों एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास का उनके लिंग व मानसिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, उत्तर प्रदेश
156. सरवन, आर0 (2009). माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण का उनके आक्रमकता स्तर, उपलब्धि स्तर तथा उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन, पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
157. शर्मा, आनन्द मोहन (2010) गोंडा जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके समायोजन व सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन, अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
158. शर्मा, आई0पी0 (2000). उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व शीलगुण, रुचियों और उच्च-सृजनात्मक एवं निम्न-सृजनात्मक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
159. शिकारी, एन0 (2008) गुजरात के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थी तथा गैर आदिवासी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व प्रारूपों का उनके लिंग एवं क्षेत्रीयता के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, सेन्टर फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन (सी0ए0एस0इ0), बड़ौदा, गुजरात
160. सिंह, अमरज्योति (2012). शोध छात्रों के धर्मनिरपेक्षता के प्रति अभिवृत्ति का उनके मानसिक स्वास्थ्य, तनाव व भग्नाशा के सन्दर्भ में अध्ययन : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के विशेष सन्दर्भ में, अनुशीलन, अंक 2 जुलाई, 2011, वाराणसी

161. सिंह, हरिओम (2007) माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक तकनीकी, दूरस्थ शिक्षा व नवाचारों के प्रति दृष्टिकोण के प्रभाव का अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
162. सिंह, करन (2009). विभिन्न सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों वाले छात्र/छात्राओं के आत्मसंप्रत्यय एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन. शैक्षिक परिसंवाद, शिक्षा संकाय, बी0 एच0 यू0, वाराणसी, अंक 2, जुलाई, 2012
163. सिंह, नीलम (2009). देवीपाटन मण्डल के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके लिंग, क्षेत्रीयता एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
164. सिंह, सपना (2010). बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके आकांक्षा स्तर के सन्दर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश
165. सोलेन, ली0 (2011). न्यूयार्क के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा का उनकी बुद्धि लब्धि व शैक्षिक लब्धि के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरटेशन, हावर्ड विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, यू0एस0ए0
166. श्रीवास्तव, सुमित (2003). मिर्जापुर जिले के आदिवासी ओर गैर आदिवासी छात्रों की व्यावसायिक आकांक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
167. ठकराल, कपिल (2001) माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच0डी0 थीसिस, शिक्षा संकाय, कुमायूँ विश्वविद्यालय, कुमायूँ, उत्तराखण्ड

168. तिवारी, रितम्भरा (2006) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्राध्यापकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनके व्यक्तिगत चरों अध्ययन के सन्दर्भ में अध्ययन. अनुशीलन, बी० एच० यू०, वाराणसी, अंक 3, नवम्बर 2006.
169. त्रिपाठी, एल०पी० (2007). पूर्वी उत्तर-प्रदेश के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि एवं आकांक्षा स्तर का उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर, लिंग एवं क्षेत्रीयता के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच०डी० थीसिस, शिक्षा संकाय, बी० एच० यू०, वाराणसी
170. वर्मा, एच० आर० (2008). हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण शिक्षित युवाओं के आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके अकेलापन, उपलब्धि-अभिप्रेरण व उनके मूल्यों के संदर्भ में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच०डी० थीसिस, शिक्षा संकाय, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल, उत्तराखण्ड
171. वर्मा, ज्योति (2010). इलाहाबाद के स्लम ऐरियाज में निवास करने वाले बालकों-बालिकाओं के शैक्षिक विकास का उनके माता-पिता के शैक्षिक स्तर व उनकी वार्षिक आय के सन्दर्भ में अध्ययन अप्रकाशित पी-एच०डी० थीसिस, शिक्षा संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
172. वेगा, के० (2003). मैक्सिकन विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालयी वातावरण तथा आकांक्षा स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. डॉक्टरल डिजरेटेशन, मैक्सिको विश्वविद्यालय, मैक्सिको, यू०एस०ए०
173. विलियम, एच० (2012). 10² स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा का उनके समायोजन व सामाजिक-आर्थिक स्तर के में अध्ययन. अप्रकाशित पी-एच०डी० थीसिस, शिक्षा संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
174. विलियम, राबर्ट्स (2010). लन्दन के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की मानसिक सुरक्षा का उनके आकांक्षा स्तर व शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में अध्ययन. डॉक्टरल डिजरेटेशन, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन, यू०के०

175. त्रिपाठी, विनीता (2011). मलिन बस्तियों के निवासियों के बच्चों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का उनके शैक्षिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन अप्रकाशित पी-एच०डी० थीसिस, शिक्षा संकाय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
176. Pandey, Dheeraj Kumar (2009). "A study of the effects of Internet uses on mental health, adjustment and stress of adolescents" Dissertation (M.Phil.-Education), C.S.J.M. University, Kanpur.
177. Verma, H. R. (2007). *Attitude Towards Modernization in Relation to Alienation, Achievement-Motivation and Values of Rural Educated Youth of H. P.*, Ph.D. Thesis, H. P. University, Shimla.

वेबसाइट

178. www.uhi-india.org/index.php?option=kcom_content&view
179. www.tcpomud.gov.in/Urban%20Land%20Price%20Scenario%20
180. www.lmc.up.nic.in/
181. www.census2011.gov/
182. www.csa.tforu.blogspot.com/2011/state-wise-projected-slum-population.
183. www.financialexpress.com/news/upplanners.over.slums/73478
184. [www.tcpomud.gov.in/Chapter5\(Slums%20in%20Lucknow\).doc](http://www.tcpomud.gov.in/Chapter5(Slums%20in%20Lucknow).doc)
185. www.siliconindia.com/10-Major-Slums-of-India-nid-110746-cid-

